हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016 को माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

04/03/2016/1100/MS/AG/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्षः बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायक मैट्रोपोल विधायक सदन में रहते हैं, उनकी गाड़ियों की पार्किंग से संबंधित विषय पर परसों इस सदन में काफी लम्बी चर्चा हुई थी। इस बात से सारा सदन सहमत था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वहां आज ही यलो लाइन लग जाएगी और उसमें विधायकगण अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। लेकिन परसों ही रात को पुलिस के टेलीफोन जो विधायक वहां रहते हैं उनको आने शुरू हो गए कि यहां से गाड़ियां उठाओ नहीं तो कन्टैम्प्ट हो जाएगा। कुछ विधायकगण ओकओवर में गाड़ियां ले गए जो ले जा सकते थे, जिनको वहां ले जाने की अनुमति मिल गई लेकिन जो हमारे इस पक्ष के लोग हैं उनको तो गाड़ियां रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वे ज्यादातर चम्बा जिला से संबंधित हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या तय हुआ है? दूसरा, जिन रोड्ज के परमिट बन्द ही नहीं हुए हैं और उच्च न्यायाय ने भी कोई आदेश नहीं किए हैं परन्तु फिर भी सचिव विधान सभा सील्ड रोड के परमिट नहीं दे रहे हैं जबकि ऐक्ट में उनको ऐसी पावर्ज दी हुई हैं। हमने ही यह पावर दिलाई थी कि सचिव विधान सभा विधायकों के परमिट इशू करेंगे। जो सी0टी0ओ0 तक रोड है वह सील्ड रोड है तो सचिव विधान सभा, ए0डी0एम0 या होम सैक्रेटरी को कहां बन्द किया है क्यों वे विधायकों को परमिट नहीं दे रहे हैं? बाकी लोगों के बारे में भी जब ऐक्ट में बहुत सारे प्रोविजन्ज हैं जिसकी मिस-इन्टरप्रेटेशन हो रही है तो इसके बारे में यह सदन सकरार से जानना चाहता है कि वह कुछ करने वाली है या कर दिया है? सचिव, विधान सभा भी सभी विधायकों को जिनके परमिट एक्सपायर हो गए हैं उनको दुबारा परमिट नहीं दे रहे हैं। अब कैसे और क्यों नहीं दे रहे हैं यह हमारी जानकारी में नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके संरक्षण में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विषय में

सरकार का रिस्पौंस मिले।

04/03/2016/1100/MS/AG/3

संसदीय कार्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, यह मामला सरकार के विचाराधीन है और हम ऐक्ट अमेंड कर रहे हैं और चन्द ही दिनों में ऐक्ट अमेंड हो जाएगा। ऐक्ट की अमेंडमैंट हम 15 दिनों के भीतर करने जा रहे हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर इशूज उठाए हैं उसमें वे रिजॉल्व हो जाएंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष जी, जो मैट्रोपोल विधायक सदन वाला विषय है उसमें सरकार अमेंडमैंट ला रही है लेकिन जैसे सी0टी0ओ0 तक जाने के लिए या बालूगंज से विधायकों ने क्रॉस करना है तो उस एरिये के परमिट जब उच्च न्यायालय ने बन्द ही नहीं किए हैं तो why the permit was not issued to the MLA by the Secretary, Vidhan Sabha? हम इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वे परमिट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?

श्री हंस राजः उपाध्यक्ष जी, समय देने के लिए धन्यवाद। इसमें एक प्रैक्टिकल चीज थी। जैसा माननीय भारद्वाज जी ने कहा है कि आजकल तो विधान सभा चली हुई है, पूरी सरकार यहीं पर है और हम हररोज़ सदन में आ रहे हैं इसीलिए शायद जो पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी हैं वे हमें सील्ड रोड से जाने दे रहे हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की जो मंशा है वह बिल्कुल क्लीयर है कि हम आपको ढंग से परमिट देने ही नहीं देंगे। जो विधायक मैट्रोपोल में रहते हैं वहां पर उनसे मिलने अन्य विधायक और सांसद भी आएंगे। जो हमने आज की तारीख में सुना है कि वहां के लिए ऐक्ट या रेजोल्यूशन यहां सदन में आप लाने वाले हैं, उसके अनुसार वहां पर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो वहां पर रहते हैं। इस तरह हम तो कैदियों की तरह हो गए। हमारे पास न सांसद/विधायक आ सकते हैं न वे जा सकते हैं। इस तरह की चीज को यहां सरकार डिफाइन करे।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा----

04.03.2016/1105/जेएस/एजी/1

श्री संजय रतनः उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परसों इस पर बहुत चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में भी यह बात लाना चाहता हूं कि जो एक्ट विधान सभा ने पास किया उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस सील्ड रोड़ के ऊपर विधायक जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा। जो भी सील्ड रोड़ हैं उनके लिए परमिट जारी होगा और उसको विधान सभा, सचिव जारी करेगा। अभी चन्द विधायकों के परमिट एक्सपायर हो गए, लेकिन सचिव, विधान सभा उनको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है? जब एक्ट में ही यह प्रावधान है कि सील्ड रोड़ और रिस्ट्रिक्टिड रोड़ में विधायक जा सकता है। सरकार इसमें अमैंडमैंट ला रही है, इसके लिए धन्यवाद। शिमला क्लब से लिफ्ट तक यानि इंदिरा गांधी स्टेडियम तक उसको सील्ड रोड़ कन्वर्ट करने की बात आ रही है। वहां पर पार्किंग की बात हो रही है। मान लो किसी एम0एल0ए0 ने विधान सभा के दूसरे एम0एल0ए0 के पास जाना हो वह गाड़ी कहां पर पार्क करेगा? अगर आप 20 गाड़ियों की पार्किंग वहां पर दे रहे हैं और वहां पर पहले से ही दो गाड़ियां खड़ी है तो तीसरी गाड़ी खड़ी करने में क्या हर्ज़ है? किसी भी विधायक को वहां पर पार्क करने से नहीं रोका जाए।

दूसरी बात यह है कि अगर हमारे माननीय सांसद वहां पर आना चाहते हैं किसी विधायक से मिलने के लिए तो क्या वे पैदल आएंगे? सांसद को भी उस एक्ट में शामिल किया जाए। अगर आप उसको सील्ड रोड़ कन्वर्ट कर रहे हैं कोर मालरोड़ से, लिफ्ट से लेकर सी0टी0ओ0 तक कन्वर्ट कर रहे हैं और शिमला क्लब से ले करके इन्दिरा गांधी स्टेडियम तक उसको सील्ड रोड़ बना रहे हैं तो हर विधायक को, हर पार्लियामैंट मैम्बर्ज को, हर मिनिस्टर को, विधान सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सबके साथ यानि अन्य डिग्निटीज़ के साथ वहां तक अलाऊड होने चाहिए।

उपाध्यक्षः मैट्रोपोल के पास पार्किंग की नोटिफिकेशन 2 मार्च, 2016 को हुई है, उसमें एक राइडर डाल दिया गया है कि "only MLAs who are residing in Metropole".

04.03.2016/1105/जेएस/एजी/2

तो क्या सरकार यह जो राइडर इसमें लगा रखा है, इसको हटाएगी? दूसरे, जो आप अमैंडमैंट ला रहे हैं कि सील्ड रोड़ज़ पर माननीय विधायक नहीं जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने जो अभी 27 तारीख को फैसला दिया है उसमें केवल भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, गवर्नर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब के अलावा बाकी सील्ड रोड़ पर जो यहां से सी0टी0ओ0 तक और शिमला क्लब से लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पाबंदी लगाई है। उसमें हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एग्रीवड पार्टी हाई कोर्ट में आए। क्या सरकार एम0एल0ए0 की तरफ से वहां पर कोई एप्लिकेशन दायर करेगी कि विधायकों को भी इसी पोर्शन में अलाऊ किया जाए?

Chief Minister: What is the issue here?

Deputy Speaker: This is regarding the MLAs parking their vehicle near Metropole. इसमें नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आई है , it is with one rider कि मैट्रोपोल में केवल वही विधायक जो वहां पर रहते हैं, उन्हीं की गाड़ी पार्क हो, क्या इस राइडर को सरकार हटाएगी?
दूसरे, हाई कोर्ट ने केवल पांच-छः लोगों को शिमला क्लब से लेकर इंदिरा गांधी खेल परिसर तक और यहां से सी0टी0ओ0 तक सील्ड रोड़ में जाने की परमिशन दी है बाकी लोगों को नहीं दी है, क्या उसके बारे में सरकार हाई कोर्ट में जाएगी?

मुख्य मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इस सारे मामले को बड़ी गम्भीरता से देखा है और उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें उस एक्ट एण्ड रूल्ज़ में कुछ तबदीली करना आवश्यक है, जोकि शीघ्र की जाएगी।

प्रश्नकाल श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

04.03.2016/1110/SS-AS/1

प्रश्नकाल

प्रश्न संख्याः 2737

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी द्वारा यहां सभापटल पर रखी गई है उसके अनुसार 26 मल निकासी तथा 14 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। मैंने "ग" भाग में जानना चाहा था कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र देहरा में जो नगर परिषद् एरिया है उसमें मल निकासी योजना हेतु कुल कितना व्यय आयेगा और आबंटित राशि क्या है? इसके जवाब में इन्होंने कहा कि योजना की अनुमानित लागत 11 करोड़ 16 लाख 65 हजार रुपये है। अभी तक जो वहां पर आबंटन किया गया वह 7 करोड़ 73 लाख 39 हजार रुपया किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में वहां पर काम चला हुआ है लेकिन इस वित्तीय वर्ष में वहां के लिए कोई भी पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। एक तो वहां पर जिस कंट्रैक्टर को काम अवार्ड किया गया, उसने काम करना बंद कर दिया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इसी वित्तीय वर्ष में आउटस्टैंडिंग वर्क या जो वहां पर काम चल रहा है उसको पूरा करने के लिए धन का आबंटन 31 मार्च तक करेंगे? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो देहरा की सीवरेज स्कीम है इसमें अभी तक सरकार की तरफ से जो सैंक्शंड बजट है वह 7 करोड़ 94 लाख का गया है और वहां पर खर्चा 7 करोड़ 29 लाख का हुआ है। इस स्कीम की सारी क्लीयरैंसिज़ हैं और काम चल रहा है। **जिस तरह से माननीय विधायक ने चाहा है इस वित्तीय वर्ष में भी फंडस का प्रावधान करेंगे ताकि यह कार्य जल्द-से-जल्द कम्प्लीट हो। 31 मार्च से पहले इसमें एक करोड़ रुपया और सैंक्शन कर दिया जायेगा।**

डॉ राजीव बिंदलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के उत्तर में उठाऊ पेयजल योजना गिरी नदी से नाहन शहर के लिए 52 करोड़ 73 लाख रुपये का प्राक्कलन है और 2 करोड़ 14 लाख रुपये का आबंटन है। चूंकि राइजिंग मेन का काम चला है और बड़ी मात्रा में पाइपों की पेमैंट का सवाल है तो क्या माननीय मंत्री जी इसमें एकमुश्त धन का

प्रावधान करने का आश्वासन देंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो उठाऊ पेयजल योजना की बात माननीय सदस्य ने की है, जहां तक शहरी विकास मंत्रालय का प्रश्न है जिस

04.03.2016/1110/SS-AS/2

तरह से आई0पी0एच0 से प्राक्कलन बन कर आता है तो हमारे विभाग से फंडस जाते हैं। **जिस तरह से आपने कहा कि इसमें काम चल रहा है और फंडस का कंस्ट्रेट है इसको मैं विभाग से स्टडी करवाकर इसमें जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, निस्संदेह मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें फंडिंग कर दें।**

04.03.2016/1110/SS-AS/3

प्रश्न संख्याः 2738

श्री सुरेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना के तहत पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में कुल 4,87,58,661/- रुपये खर्च किये गये। इसमें पच्छाद ब्लॉक में 3,65,84,945/- रुपये व राजगढ़ ब्लॉक में मु0 1,21,73,716/-रुपये खर्च हुए। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि इसमें दो प्रकार से कार्य करवाए गये, एक पंचायत के माध्यम से तथा दूसरा रिक्वैस्ट फॉर कोटेशन के माध्यम से। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो रिक्वैस्ट फॉर कोटेशन के माध्यम से कार्य करवाये गये क्या उसमें सारी फॉर्मैलिटीज़ पूरी की गईं? मेरा विभाग पर आरोप है कि ये जितने भी कार्य रिक्वैस्ट फॉर कोटेशन के माध्यम से हुए इसमें नियमों को दरकिनार करके चंद लोगों को ही आंखें मूंदकर ठेके दे दिये गये। एक-एक ठेकेदार को सात-सात, आठ-आठ काम दे दिये गये। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप कोई एस0आई0टी0 बनाकर इन कार्यों की जांच करवायेंगे? धरातल पर देखा गया कि इसमें बहुत कम ही काम हुए हैं। कुछेक काम हुए हैं। तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे?

वन मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2016/1115/केएस//एस/1

प्रश्न संख्याः2738 जारी---

वन मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, पिछली मर्तबा भी माननीय सुरेश कुमार जी ने यह मुद्दा उठाया था। जैसे कि ये कह रहे हैं कि यहां बहुत धांधली हुई है, धांधली वाली कोई बात नहीं है। पच्छाद ब्लॉक में गत तीन वर्षों में कुल 3,65,41,945/- रुपये खर्च किए गए जिसमें कुल 22 पंचायतें हैं और राजगढ़ ब्लॉक में इस अवधि में कुल 1,21,73,716/- रुपये खर्च किए गए। इसमें दस पंचायतें हैं। तो जो 22 पंचायतें हैं, उनमें खर्चा ज्यादा होगा और जो कम पंचायतें हैं उनमें डिमांड के मुताबिक होगा। इस वक्त फील्ड में गत विधान सभा सत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार इस वर्ष से इस परियोजना में एच.पी. फाईनैंशियल रूल्ज़ के तहत कार्य हो रहा है। यह आपकी रिक्वायरमैंट थी और हमारा इस माननीय सदन में आश्वासन था। वह इसलिए हुआ कि पहले जो प्रोजैक्ट की गाईड लाईन थी उसमें 25 लाख रुपये से लेकर डॉलर की कीमत के मुताबिक 35 लाख तक तीन कोटेशन्ज़ ले कर पंचायत या रजिस्टर्ड ठेकेदार काम कर सकते थे परन्तु उसको हमने अब चेंज कर दिया है और आपकी रिक्वैस्ट के मुताबिक उस रूल को चेंज किया। हि0प्र0 फाईनैंशियल रूल के मुताबिक पंचायतों में भी और छोटे कॉंट्रैक्टर्ज़ द्वारा भी काम हो रहे हैं। छोटे ठेकेदार एक लाख से लेकर पांच लाख तक के काम कर रहे हैं और ऐसी सिर्फ तीन पंचायतें हैं, जिनमें कि एक पंचायत बनाह है जो पच्छाद ब्लॉक में है जिसमें 9,48,895/-रु0 का टैंडर प्रोसैस है। जो टैडर फाईट करता है और जिसका क्वालिटी वाईज़ लोएस्ट रेट होता है, उसको ठेका दिया जाता है। दूसरी पंचायत लाना बाका है जिसमें 5,06,022/- रु0 का काम दिया

04.03.2016/1115/केएस//एस/2

गया और इसके अलावा एक पंचायत बागथन है जिसमें 6 लाख 92 हजार रु0 का काम हुआ है। और ये नार्मज़ के मुताबिक काम हुए है। सुरेश कुमार जी ने कहा कि चंद एक लोगों को ही ठेके दिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मूल प्रश्न के उत्तर में डिटेल दी हुई है, पंचायतों के नाम भी दिए हुए हैं कि किस-किस पंचायत में कितना

काम किया और किस-किस ठेकेदार ने कितना काम किया । एक ठेकेदार जो अच्छा काम करता है, वह कम्पीटिशन में आ सकता है तो उसको कोई बन्धन नहीं है । वहां पर सभी काम कर सकते हैं। राजनीति करने वाली कोई बात नहीं है या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको काम नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। everybody is there. जैसे मनरेगा में प्रावधान है, वैसे ही गरीब-अमीर सबको यहां भी काम करने का अधिकार है।

श्री सुरेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि जो पौधा रोपण किया गया है उसमें वर्ष 2012-13 में पच्छाद ब्लॉक में पौधारोपण के ऊपर 1 लाख 74 हजार रुपये का खर्च हुआ और रख-रखाव के ऊपर 01,29,865/- रुपये खर्च हुए । वर्ष 2013-14 में 02,69,674 रुपये और रख-रखाव पर 33,698 रुपये खर्च हुए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह रख-रखाव किस प्रकार का है ? जो पौधारोपण हुआ उसका सर्वाईवल रेट क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो लेंटाना ग्रास है, इसमें बहुत सारा पैसा लेंटाना उन्मूलन के लिए दर्शाया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

4.3.2016/1120/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2738------- क्रमागत

श्री सुरेश कुमार------ जारी

जैसे कि वर्ष 2014-15 में पच्छाद ब्लॉक में ही लैंटाना उन्मूलन के लिए 20,76,325/- रुपये, 2013-14 में 47,084/- रुपये खर्च किए गए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो पूरे प्रदेश में 19 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है या जो मिड हिमालयन द्वारा खर्च किया गया है क्या यह उससे अतिरिक्त है? यदि अतिरिक्त है, तो मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के अंतर्गत लैंटाना उन्मूलन के लिए कुल कितना पैसा खर्च किया गया?

वन मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने सवाल के मुताबिक अनुपूरक प्रश्न

नहीं कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है अगर उसके मुताबिक आपके कोई दूसरे डाउट हैं तो you can question, I am giving the answer then why are you worrying. जहां तक लैंटाना रिमूवल की बात है। (---व्यवधान---) रवि जी, अनुपूरक प्रश्न सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं। Let him ask the supplementary. आपका पहला अनुपूरक प्रश्न क्या है?

Deputy Speaker: Please be quite.

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह था कि पौधा रोपण के ऊपर 1,74000/- रुपये और उसके रख-रखाव में 1,29,865/- रुपये खर्च हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसका रख-रखाव हुआ, किस प्रकार का रख-रखाव हुआ? इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाए कि जो पौधा रोपण किया गया उसका सर्वाइवल रेट क्या है?

वन मंत्री : माननीय सदस्य, आप वहां के विधायक है। वहां आपके क्षेत्र में जो काम हुआ है आपको उसको वहां जाकर देखना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो आपको मुझे लिखित रूप में देनी चाहिए थी। If you have any problem you have to appraise me. (---व्यवधान---) मैं ठीक बोल रहा हूं। (---व्यवधान---) सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूं। आप (डॉ.राजीव बिन्दल) कहां के ठेकेदार आ गये? मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने थोड़े ही उत्तर देना है। You are not a minister.

4.3.2016/1120/av/dc/2

रख-रखाव में (---व्यवधान---) आप बैठिए, जवाब सूनो। why are you interrupting? जो मरे हुए पौधे होते हैं उनको दोबारा से रिवाईव किया जाता है और प्रोपरली फैंसिंग की जाती है। पहले लकड़ी के खम्भों में कंटीली तारें लगाते थे मगर अब हमने सीमैंट और लोहे के खम्भे प्रोवाइड किए हैं उसके मुताबिक कंटीली तारें लगाई जाती है। तब जाकर इसकी प्रोटैक्शन होती है, ऐसे नहीं होती।

Deputy Speaker: Hon'ble Mahinder Singh Ji, please be brief.

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, जो ऐनैक्सचर लगाया है उसके अनुसार वर्ष 2012-13 में ड्राई स्टोन स्ट्रक्चर के लिए आपने 4700 रुपये प्रति क्युबिक मीटर पेमैंट की है। वर्ष 2013-14 में 2518 रुपये और 2014-15 में ड्राई स्टोन स्ट्रक्चर के लिए लगभग 3000 रुपये प्रति क्युबिक मीटर पेमैंट की है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पत्थर है क्योंकि आई.पी.एच. विभाग के इंजीनियर द्वारा जितने भी ड्राई स्टोन के स्ट्रक्चर होते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पत्थरों की बहुत ज्यादा लीड भी हो तो भी 6-7 सौ रुपये प्रति क्युबिक मीटर से ज्यादा पेमैंट नहीं की जाती है। प्रति क्युबिक मीटर हेतु इतनी राशि दिए जाने के क्या कारण है? दूसरा, इसी ऐनैक्सचर में लिखा है कि एक साल में आपने लम्पसम में 30,4,950/- रुपये की राशि रखी है तथा

टीसी द्वारा जारी

040.03.2016/1125/TCV/DC/1
प्रश्न संख्याः 2738---क्रमागत
श्री महेन्द्र सिंह-- द्वारा जारी

और दूसरी साल में लम्पसम राशि 31,04,928/- रखी है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जो लम्पसम राशि है, यह लम्पसम राशि कहां खर्च की गई? क्या आप इस लम्पसम राशि का कोई ब्रेकअप देंगे? ताकि ब्रेकअप देखकर हमें पता चले, प्रदेश के लोगों, उस क्षेत्र की पंचायतों और जो इसके बेनिफिशरिज़ हैं उनको पता चले कि लम्पसम का पैसा कहां लगा?

तीसरा, मैं लैंटाना के बारे में कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आप विषय से बाहर जा रहे हैं। यह आपके अनैक्चर में है कि आपने लैंटाना को खत्म करने के लिए लाखों रूपये खर्च किए हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत(विशेषकर इनके चुनाव क्षेत्र में) और इस प्रश्न से संबंधित जहां आपने लैंटाना को खत्म किया है, क्या माननीय मंत्री जी (वन मंत्री) आप उस क्षेत्र का विवरण इस हाऊस में देंगे?

वन मंत्रीः जहां हमने लैंटाना को खत्म किया है, उस क्षेत्र के बारे में पूर्ण विवरण हम माननीय सदस्य को भेज देंगे। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि एक जगह आपने

इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, दूसरे जगह इतने कम खर्च किए हैं और तीसरे जगह इतने कम खर्च कर दिए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह क्लाइमेट और हाईट के मुताबिक होता है। जैसे लोअर बैल्ट में आपने सड़क बनाने है तो एक लाख में जे0सी0बी0 लगाकर एक किलोमीटर बन जाती है। अगर भरमौर, रोहड़ू, जुब्बल और कोटखाई में बनानी है तो उसके मुताबिक बाकायदा उसका ऐस्टीमेट बनाया जाता है और लम्पसम अमाऊंट का प्रावधान किया जाता है। जब वह काम पूर्ण हो जाता है तो उसके मुताबकि असैस्मैंट की जाती है और तब पैमेंट होती है। ऐसी ही किसी काम के लिए लम्पसम अमाऊंट की पैमेंट नहीं की जाती है। जैसे आप बजट में लम्पसम अमाऊंट का प्रावधान करते हैं, you were the PWD Minister आपको सारा पता है। आप जैसे बजट में प्रावधान करते हैं कि इस सड़क के लिए हमने 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रूपया रखा है। उसके बाद जब वह स्कीम बनती है, तो वह पैसा कम हो जाता है क्योंकि

040.03.2016/1125/TCV/DC/2

उसकी रिक्वायमेंट ज्यादा होती है। उसी के मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री ऐडिशनल्टी देते हैं। This is the same case, which you are asking.

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी लॉस्ट सैप्लीमेंटरी पूछिए ।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जब भी कोई काम किया जाता है, तो उसका बाकायदा ऐस्टीमेट बनता है, उसकी टैक्निकल सैंक्शन होती है। जो टैक्निकल सैंक्शन होती है, उसमें लीड चार्ट लगता है। इसमें मैंशन किया जाता है कि रेत, पत्थर और बाकी मैटिरियल कितनी दूरी से आएगा। ये जो आपका ड्राई-स्टोन स्ट्रैक्चर लगा है। It is dry stone structure only. क्या आप इस हाऊस में बताएंगे कि इस ड्राई-स्टोन स्ट्रैक्चर को लगाने के लिए पत्थर मौके पर मौजूद थे, या नहीं थे? अगर मौजूद थे, तो फिर 4700/-रूपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैमेंट करने का क्या औचित्य था? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अगर इस ड्राई-स्टोन स्ट्रैक्चर का लीड चार्ट बना हुआ है और उसकी टैक्निकल सैंक्शन हुई है, तो आप उस सारे ऐस्टीमेट को इस हाऊस में ले करें। ताकि सच्चाई का

पता चल सके। यदि किसी अधिकारी ने गलत किया होगा तो क्या इसके लिए आप कोई इन्वैस्टीगेशन टीम बैठाएंगे? ताकि वह जांच करें। क्या आप इस केस को विजिलैंस को देंगे? क्योंकि मिड-हिमालयन प्रोजैक्ट के अन्दर पूरे प्रदेश में धांधली की गई है। क्या माननीय मंत्री जी एस0आई0टी0 बैठाने के लिए आदेश करेंगे?

वन मंत्रीः धांधली तो ठाकुर साहिब आपके टाईम में होती थी। यहां धांधली नहीं होती है। आप क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, मुझे सब पता है, मैं भी इस हाऊस का मैंबर था और मैंबर हूं। आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है, I know it. जो आपने अनिमियतताएं की है, वह सारी बताएंगे। अब आप सैप्लीमेंटरी सुनिए। जहां तक आपने लीड की बात की है, मैं मानता हूं कि अगर पत्थर नाले में एबेलेबल हैं तो उसके मुताबिक लीड नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर पत्थर 5,10 या 20 किलोमीटर से आना है, तो उसके मुताबकि उसकी कोस्ट बढ़ेगी। अगर कोई धांधली आपको इसमें दिखती है तो हम उस पर इन्क्वायरी करेंगे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

4.03.2016/1130/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः2739

श्री राकेश कालियाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लगभग 14 करोड़ रुपए की धनराशि गगरेट सीवरेज प्रणाली के ऊपर दर्शाई है। लेकिन अभी तक कोई भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में दो NAC है, एक गगरेट और दूसरी दौलतपुर। गगरेट मल निकास योजना का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसी वर्ष इस योजना के लिए मकबूल पैसा स्वीकृत किया जाएगा? इसके अलावा दौलतपुर में जो दूसरी पंचायतें हैं, वहां पर भी सुविधा के अभाव में आए दिन एजिटेशन होते रहते हैं कि हमें भी NAC में मिलाया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इन दोनों NACs की सीवरेज प्रणाली के लिए धन स्वीकृत किया जाएगा?

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न सीवरेज योजना गगरेट के बारे में है। इस योजना के लिए 13, 68, 72,000 रुपए खर्च होना है। इस योजना का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 3.01.2014 को किया था। जो लैंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ट्रांसफर होनी थी वह दिनांक 15.10.2015 को हो गई है। वतर्मान वर्ष में इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति विभाग की ओर से की गई है। जैसा कि विधायक महोदय ने चाहा है अगर इस योजना के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यक्त होगी तो विभाग के पास धन उपलब्ध है। आई.पी.एच. विभाग से बात करके 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि इसी वर्ष 31, मार्च से पहले स्वीकृत कर दी जाएगी। दूसरी बात जो आपने दौलतपुर के बारे में कही उसका प्राक्कलन आई.पी.एच. विभाग से मंगवा करके, काम शीघ्र ही शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री राकेश कालियाः धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी।

4.03.2016/1130/RKS/AG/2

प्रश्न संख्याः2740

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने नागरिक अस्पताल रोहड़ू में चिकित्सकों के जो 17 पद स्वीकृत थे उन्हें बढ़ाकर 30 कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भी शीघ्रातिशीघ्र भरने की कृपा करे। इसके अतिरिक्त जो माननीय मंत्री जी ने भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपये की बात की है, मेरी जानकारी के अनुसार यह 20 लाख रुपए डॉक्टरों के रेजिडेंस बनाने के लिए आए थे। यह कार्य काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि इस कार्य को भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाने की कृपा करें।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, रोहड़ू नागरिक अस्पताल में जो 200 बिस्तरों का भवना बनना है, उसकी प्रशासनिक व फाइनेंशियल अप्रूवल हमने 1 मार्च, 2016 को दी है। इस पर 22,98,73,000 रुपऐ खर्च किया जाएगा।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

04.03.2016/1135/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2740...जारी

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

जिसमें इस साल हमने अभी पहली मार्च को ही 20 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग को रिलीज कर दिया है। मैं इनके क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग के पास वहां अभी तक काफी पैसा स्वास्थ्य विभाग का पड़ा है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने XEN साहब से तालमेल करके उन कार्यों को शुरू करें। कई कार्य बहुत पुराने हैं और कई सालों से चले हुए हैं। लोक निर्माण विभाग वहां बड़ी धीमी रफ़्तार के साथ काम कर रहा है। जहां तक डॉक्टरों का संख्या की बात है, इस वक्त प्रदेश में डॉक्टरों की ओवर ऑल शॉर्टेज है, फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं कि हमने वहां पर 8-9 मैडिकल स्पैशलिस्ट लगाए हैं। वहां की OPD and IPD के मुताबिक अभी तक ये डॉक्टर काफी हैं। जैसे ही और डॉक्टरों की संख्या हमारे पास उपलब्ध होगी, और डॉक्टरों को भी तैनाती दे दी जाएगी।

04.03.2016/1135/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या 2741

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा मूल प्रश्न था। मैंने 3 स्कीमों का ज़िक्र किया था। माननीय सभा पटल पर उत्तर रखा गया है कि वह स्कीमें पिछले 6-8 महीनों से कंपलीट हैं। इनके लिए पिछली सरकार के समय धन दिया गया और स्कीमें

पूरी हुई। मेरा मुख्य प्रश्न बिजली विभाग से संबंधित था क्योंकि आई. पी. एच. विभाग ने बिजली विभाग को पैसा दिया है लेकिन आज तक वहां बिजली का कोई काम नहीं हुआ। न खंबे फैंके गए, न तारे डाली गईं जिसके कारण आज कोटधार क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। वहां बिजली के कनैक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? यह प्रश्न बिजली विभाग के नाम लगना चाहिए था जबकि यह आई. पी. एच. विभाग के नाम लगा दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब 4 या 6 महीने पहले बिजली विभाग को पैसा दे दिया है, क्या विभाग छानबीन करेगा कि उन्होंने आज तक यह कार्य क्यों नहीं किया? क्यों वहां लोग पानी की सुविधा से डिप्राइव हैं? वहां पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिजली कनैक्शन के लिए धनराशि जमा की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि उठाऊ पेयजल योजना भगतपुर-पियुंगली में भी कार्य प्रगति पर है। आपकी ये दोनों ही स्कीमें तैयार हैं। आप यकीन रखिए कि **both these schemes shall be completed by March, 2017.**
अब इसमें बहुत ज्यादा समय इंवाल्व नहीं है, हम इनको जल्दी-से-जल्दी करवा देंगे। जहां तक बिजली कनैक्शन की बात है, हम जानते हैं और उसको भी हम जल्दी-से-जल्दी करेंगे, यह हम आपको विश्वास देना चाहते हैं। एक महीने में हम इनको फंक्शनल करेंगे। हमने जो कहा है उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए कि यह सही बात होगी।

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। जब इन्होंने अपने उत्तर में बिजली विभाग का ब्योरा दिया है कि कार्य प्रगति पर है जबकि फील्ड में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ है और पैसा बिजली

04.03.2016/1135/SLS-AG-3

विभाग के पास पड़ा है। बिजली विभाग के मंत्री यहां बैठे हैं, क्या आई. पी. एच. मंत्री या

बिजली विभाग के मंत्री इस बात के लिए इंक्वायरी के आदेश देंगे कि विभाग ने इस माननीय सदन में गलत उत्तर क्यों दिया? उन्होंने पैसा पिछले 6 महीनों से अपने पास रखा है और वहां पर सही में कोई काम नहीं हुआ। लोग वहां पानी के लिए तरस रहे हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : जब मैं कह रही हूं तो **आप यकीन करिए कि एक महीने के अंदर हम इन स्कीमों को फंक्शनल कर देंगे। आप यकीन करिए, हम यही आपसे कह रहे हैं। पीछे कार्य रह गया होगा, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब फंक्शनल होने का कार्य हो जाएगा।**

04.03.2016/1135/SLS-AG-4

प्रश्न संख्या : 2742

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : प्रश्न के लिखित उत्तर के अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अब वहां एक लेडी डॉक्टर और मेल डाक्टर के आर्डर कर दिए हैं। We are waiting for their joining.

हिंदी में ...गर्ग जी

04/03/2016/1140/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2742---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वागाचनोगी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्हनी का सवाल है, ये अभी फंक्शनल ही हुए हैं और अभी हमने नए खोले हैं। जैसे ही हमारे पास डॉक्टर्ज एवं फार्मासिस्ट्ज उपलब्ध होंगे, तो हम इनको फंक्शनल कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष होदय, एक तो जो मैंने प्रश्न पूछा, उसका ठीक से उत्तर नहीं आया। मैंने प्रश्न पूछा था कि 'वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगस्याड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वागाचनोगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलानाल तथा कल्हनी में कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है।' इसमें आपने तीन का जवाब तो

दिया, लेकिन एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला नाल है जिसका जिक्र छूट गया। उपाध्यक्ष महोदय, वागाचनोगी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया उसका विधिवत उद्घाटन किया गया और उद्घाटन में क्या लिखा गया है कि 'प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वागाचनोगी का उद्घाटन दिनांक इतने तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से श्री चेत राम के सहयोग से सम्पन्न हुआ।' ऐसा हमने पहली बार देखा कि मुख्य मंत्री जी शिमला में थे और उनका फट्टा लगाकर ऐसा किया गया कि उनके आशीर्वाद से और दूसरे व्यक्ति के सहयोग से वहां उद्घाटन कर दिया गया। मेरे मोबाईल पर फोटो भी हैं जो लोगों ने वहां से भेजे हैं। इतना बड़ा ताला वहां लगा हुआ है। जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन के पश्चात वहां ताला लगा है जो खुला ही नहीं है। दूसरी बात जिसका जिक्र इनसे छूट गया है इसमें करैक्शन करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोला नाल में भी माननीय श्री चेत राम जो मिल्क फैडरेशन के चेयरमैन हैं उन्होंने उसी तरह का फट्टा बनाकर लगा दिया। मुझे लगता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां एक या दो बार ही गए होंगे क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारा जाना भी साल में एक-दो बार ही होता होगा। तो वहां भी उन्होंने मुख्य मंत्री जी को पहुंचा दिया और फट्टा लगा दिया कि 'मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और चेत राम के सहयोग से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन हो गया।' जब उद्घाटन हो गया, तो उसको आप फंक्शनल कैसे नहीं मान रहे हैं?

04/03/2016/1140/RG/AS/2

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परवाड़ा जिसका जिक्र इसमें छूट गया है वहां पर भी पद खाली है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पन्जाई में भी चिकित्सक का पद खाली है। इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगस्याड़ का जिक्र किया कि बगस्याड़ में तो डॉक्टर्ज भेजे हैं। एक ने ज्वाईन किया है और एक ने अभी तक ज्वाईन नहीं किया है। यह मेरी जानकारी के मुताबिक है क्योंकि यह हमारे घर के पास का स्वास्थ्य केन्द्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जितने भी ये स्वास्थ्य केन्द्र हैं चाहे वह कल्हनी है जो फंक्शनल नहीं हुआ, उसको फंक्शनल कब तक करेंगे? उसके पश्चात जो स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़े हैं उनमें आप कब तक डॉक्टर्ज

भेजने की कृपा करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे पास ओवर-ऑल डॉक्टर्ज की कमी है। माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि उसका उद्‌घाटन श्री चेतराम जो चेयरमैन हैं जो इन्हीं के चुनाव क्षेत्र से हैं, उन्होंने उसका उद्‌घाटन कर दिया है, लेकिन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, यह अभी हमारे कागजों में फंक्शनल नहीं हुआ है। क्योंकि डॉक्टर्ज की कमी है और ये नए खुले हैं। स्वास्थ्य विभाग की यह कोशिश है कि जो पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कई सालों से चल रहे हैं उनमें अभी हमने 150 डॉक्टर्ज की तैनाती की है। जिनका माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया है हो सकता है कि उनमें डॉक्टर्ज की तैनाती हो गई हो, जो इस सूची में नहीं है। इसलिए अभी खोला नाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी कोई डॉक्टर की तैनाती नहीं की है। यह ठीक है कि इनका वह बहुत ही इन्टीरियर क्षेत्र है। इसलिए वहां डॉक्टर जाने में परेशानी होगी, इनको भी परेशानी हुई, हमें वहां जाने के लिए परेशानी होती है। क्योंकि वह एक छोटा सा गांव है। बाकी जहां तक आपका बगस्याड़ स्वास्थ्य केन्द्र है, वह ब्लॉक लेवल का है, वहां बी.एम.ओ. भी उपलब्ध है। **उसके अलावा हमने दो डॉक्टर्ज भेजे हैं, जैसा आपने कहा कि एक ने ज्वाइन कर दिया है, एक की ज्वाइनिंग रिपोर्ट अवेटिड है। तो हमारी कोशिश है कि जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराने ब्लॉक लेवल के हैं उनमें हम प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर्ज भरेंगे।** जो नए

04/03/2016/1140/RG/AS/3

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं उनमें चिकित्सक तब लगाएंगे जब डॉक्टर्ज उपलब्ध होंगे।

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह विचित्र परिस्थिति है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्‌घाटन कर दिया गया और संबंधित मंत्री जी को पता ही नहीं है और उद्‌घाटन के लिए विधिवत प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई। माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि विभाग को जानकारी नहीं है।

एम.एस. द्वारा जारी

04/03/2016/1145/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2742 क्रमागत----श्री जय राम ठाकुर जारी----------

यह बहुत दुभाग्यपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में यह सरकार चल रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर विभाग से उन्होंने इसकी परमिशन नहीं ली है तो क्या ये उद्घाटन किया जा सकता था? अगर उद्घाटन नहीं किया जा सकता था तो इस संदर्भ में उक्त व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे यह जानकारी मैं चाहता हूं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, चेत राम ठाकुर मिल्क फैड के चेयरमैन है। यह ठीक है उन्होंने परमिशन नहीं ली है लेकिन हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के वक्त भी इनके चेयरमैंन्ज ने उद्घाटन बिना परमिशन के किए और मंत्री को पता नहीं होता था। तो इसमें भी विभाग की परमिशन नहीं ली है और इसकी हम जानकारी देंगे। इसी तरह से उन्होंने जो उद्घाटन किया है वह किसी प्राइवेट बिल्डिंग का किया है न की किसी प्राइमरी हैल्थ सेंटर का किया है। <u>अभी तक यह ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जब हमारे पास डॉक्टर्ज उपलब्ध होंगे तो निश्चित तौर पर हम डॉक्टर्ज लगाएंगे क्योंकि यह एक बैकवर्ड एरिया है और यह इनका बैकवर्ड ब्लॉक है। यह मेरी बाकायदा इन्टैंशन रहेगी कि इन क्षेत्रों में डॉक्टर्ज को भेजा जाए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीणीकरण करना हमारी सरकार का एक उद्देश्य है।</u>

04/03/2016/1145/MS/AS/2

प्रश्न संख्या 2743

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि शिमला में इन्होंने 12725 सीवरेज कनैक्शन दिए हैं। मैं एक तो इनसे यह जानना चाहता हूं कि शिमला नगर निगम के अंतर्गत टोटल हाउसहोल्ड कितनी हैं क्योंकि इसका

इन्होंने सर्वे करवाया हुआ है? दूसरा, इन्होंने कहा है कि इतने ही कनैक्शन दिए हुए हैं और बाकी सैप्टिक टैंक लगाए हैं। क्या जो सैप्टिक टैंक लगाए हैं उनको भी मेन लाइन की सीवरेज लाइन से जोड़ने का आप प्रावधान करेंगे? इसके अलावा जो आपने कुछेक एरियाज के बारे में बताया है कि हमने सर्वे किया है और यहां पर कनैक्शन नहीं हैं जिसमें आपने एक-दो जगह जैसे कृष्णा नगर और रूल्दूभट्ठा जहां पर बहुत गरीब दलित वर्ग के लोग रहते हैं, का जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त शिमला के बाकी स्थानों पर भी जो कनैक्शन अभी तक लगे ही नहीं हैं, जो मेन लाइन से जुड़े ही नहीं हैं क्या उनको भी मेन लाइन से जोड़ने के लिए आप कोई सीवरेज लाइन का प्रबंध करेंगे ताकि पीलिया जैसी भयंकर बीमारी यहां पर जो फैल रही है उसकी रोकथाम हो सके। ऐसा कोई प्रावधान आप करेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, शिमला नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज के अभी तक कुल कनैक्शन 12725 हैं जबकि पीने-के-पानी के कनैक्शन 29000 हैं जो अभी तक सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने शिमला नगर निगम में दिए हैं। जैसाकि आपने कहा कि इसके अलावा ऐसे कितने भवन हैं जो सैप्टिक टैंक से जुड़े हैं उनका नम्बर 1708 है। जहां तक तीसरे भाग में आपने रूल्दू भट्ठा और कृष्णा नगर की बात की है तो रूल्दू भट्ठा के जो छूट हुए ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कनैक्शन नहीं दिया है उसका कार्य शुरू करवा दिया है और 15 अप्रैल से पहले-पहले वह पूरा हो जाएगा। जहां तक कृष्णा नगर की बात है यहां पर अवैध निर्माण बहुत ज्यादा था इसलिए हमारे ऐक्ट के बायलॉज के मुताबिक वहां कनैक्शन नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि उनके नक्शे पास नहीं हुए थे। अब जो एम0सी0 बिल्डिंग रूल्ज हैं उसमें बायलॉज नम्बर 40 को अमेंड करके यह प्रावधान किया है कि

04/03/2016/1145/MS/AS/3

इरैस्पैक्टिव कि मैप की एप्रूवल है या नहीं यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको सीवरेज के कनैक्शन दे दिए जाएं ताकि इस तरह के हालात उत्पन्न न हों। इसके अलावा आपने कहा है कि शिमला के आसपास और शिमला के अंदर भी जो और छूटे हुए क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के लिए क्या प्रावधान किया है। अम्रुत योजना के अंतर्गत अभी जो

धनराशि केन्द्र से आई है वह 22 करोड़ रुपये की राशि है जिसको हाल ही में एम0सी0 को रिलीज कर दिया गया है कि जो छूटे हुए एरियाज हैं उनको सीवरेज से जोड़ा जाए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

04.03.2016/1150/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2743ः-----जारी------

शहरी विकास मंत्रीः-----जारी-----

इसके अतिरिक्त जो शिमला के साथ के और क्षेत्र है, जैसे कि स्पेशल एरिया कुफरी है, स्पेशल एरिया शोघी है, घणाहट्टी है और जो अडिशनल शिमला प्लानिंग एरिया है, क्योंकि यह अर्बन एरिया में नहीं आता है, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा पॉपूलेटिड एरिया है। इसकी भी डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए कहा गया है क्योंकि यह सारी की सारी आबादी पहाड़ों के ऊपर बसी हुई है और सारा मल निकास जो होता है वह केचमैंट में जाता है। जब तक हम इन सब को टैप नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है कि यह समस्या बनी रहेगी इसीलिए गम्भीरता से लेते हुए जो यह अर्बन एरिया शिमला के साथ-साथ है उसको भी सीवरेज़ से जोड़ने का प्रस्ताव है।

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे सीवरेज कनैक्शन 12,750 है और पानी के कनैक्शन 29,000 है। सैप्टिक टैंक केवल 1700 लगे हैं। केवल 13-14 हजार आपके कनैक्टिड हैं कहीं न कहीं सैप्टिक टैंक या मेन लाईन से है। बाकी जो 15000 के लगभग कनैक्शन आप कह रहे हैं कि पानी के दे रखे हैं, सीवरेज़ के नहीं दे रखे हैं तो वहां का जो सीवरेज़ है और क्या आपके पास ऐसा कोई सर्वे है कि कितने हाऊस होल्ड हैं? जब कनैक्शन 29 हजार पानी के दे रखे हैं तो उसमें सीवरेज़ की भी व्यवस्थता होनी चाहिए। उनकी लाईनें सीवरेज़ की कहां पर जाती है? क्या वह लाईनें नदियों/खड्डों में जाती है या अपने घरों में ही रह जाती है उसकी क्या व्यवस्थता है?

04.03.2016/1150/जेएस/डीसी/2

दूसरे, आप सीवरेज़ सैस भी साथ में ले रहे हैं। पानी आप तीसरे दिन दे रहे हैं। पानी का पैसा आप हरेक से एक मुश्त लेते है। पानी खर्च हो या न हो फिर भी पैसा आप एक मुश्त ले लेंगे। कमर्शियल में आप बहुत ज्यादा रेट पानी के ले रहे हैं। आप सीवरेज़ सैस भी पानी वालों से 29000 से ले रहे हैं, लेकिन कनैक्शन केवल 13-14 हजार ही हैं। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सीवरेज़ सैस है यह वहीं पर लगेगा जहां पर सीवरेज़ की व्यवस्थता कनैक्टिड की गई है। बाकी जो अन्य लैफ्ट आऊट सीवरेज़ के कनैक्शन हैं, जहां कनैक्शन ही नहीं दे रखे हैं उन कनैक्शन्ज़ को जोड़ने के लिए मेन लाईन की व्यवस्थता और एस0टी0पी0 की व्यवस्थता करेंगे और साथ ही साथ एग्जिटिंग एस0टी0पीज़0 हैं उनको क्या वहां से हटाया जाएगा ताकि पानी की कन्टैमिनेशन उसके कारण न हो?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो छूटे हुए एरियाज़ हैं जहां पर अभी सीवरेज़ के कनैक्शन अभी नहीं दिए गए हैं न केवल शिमला नगर निगम बल्कि उसके साथ लगते आस-पास के अर्बन एरियाज़ हैं उनको भी सीवरेज़ कनैक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसमें जो हमारी एक मेन सीवरेज़ स्कीम हैं वह है और जरूरत पड़ी तो बीच में जहां पर घनी आबदी है वहां पर क्लस्टर बेस्ड भी करके ताकि छोटी-छोटी बीच में स्कीम दे करके इसका प्रावधान करेंगे और सारी कनैक्टिविटी इसकी इन्श्योर करेंगे। इसके लिए धन का प्रावधान भी किया जा चुका है। दूसरे, आपने कहा कि जहां पर सीवरेज़ के कनैक्शन दिए ही नहीं वहां पर भी सैस लिया जा रहा है। यह मामला अभी मेरे ध्यानार्थ आया है। जहां अभी कनैक्शन नहीं हुए हैं वहां पर सैस लेने का औचित्य नहीं है। इसको विभाग देखेगा, सरकार कंसिडर करेगी।

04.03.2016/1150/जेएस/डीसी/3

तीसरे, आपने कहा कि जो छूटे हुए एरियाज है, जैसे 29 हजार पीने के पानी के कनैक्शन है और 12,725 सीवरेज़ के हैं। इसके साथ 1700 सैप्टिक टैंक है। जो छूटे हुए हैं जिसमें कई जगह डेविएशन के चलते या नक्शे पास नहीं हुए हैं उसके कारण भी

सीवरेज़ कनैक्शन नहीं है। यह भी सत्य है कि कई जगह खुले में भी इस मल का निकास हो रहा था। उसको भी आइडैंटिफाई करके उसके ऊपर काम शुरू करवाए हैं। शिमला में जो स्कैंडल प्वाईंट है उसके साथ जहां पर सारे बैंक हैं, वहां पर भी ऐसा था और वहां पर भी काम शुरू हो गया है वह भी शीघ्र ही दो-चार दिन में कम्पलीट हो जाएगा।

अगला प्रश्न एस0एस0 द्वारा जारी-------

04.03.2016/1155/SS-DC/1

Question No-2744

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, is the Hon'ble Minister aware of the Forest Rights Act, in which 4 hectare of land is to be allotted to the Tribals, who are forest dwellers? As many states have already given them their rights and the land has been allotted to them after due process.

Has the State Government made village-wise FRA Committees in the State? What is the latest position of that? Why is the Tribals of Lahaul & Spiti in the Himachal Pradesh deprived of their rights inspite of the Act and directions of the GOI? What is the timeline for forming the FRA committees in villages, panchyatas and Sub-Divisions? Isn't the time taken by the department indefinite? Most of the states as well as beneficiaries are benefited. And what relief the Government has proposed for aggrieved party? Immediate relief should have been given instant being the natural calamity. माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि as such there is not even a single blade of grass in Spiti Valley, तो मैं जानना चाहूंगा कि इनको जमीनें कब मिलेंगी जो लोग बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और भूमिहीन हो चुके हैं?

Health & Family Welfare Minister: Deputy Speaker Sir, this is a fact that due to cloud burst and flash floods occurred on 26th - 28th July and again on

6th and 7th August , 2010 they lost their valuable land in village Ghue. One house was also damaged. The Government searched for the land in exchange of the land which was washed away. That land which got washed away is about 17 -25-25 hectare and 20 families were affected badly. Similarly in the year 2015 in village Chichong total 0-31-08 hectare land along with one residential house of a family was washed away. There is provision for giving compensation or relief to the family whose house was totally washed away and the State Government

04.03.2016/1155/SS-DC/2

has provided Rs. 1,00,900/- to that family. 20 persons were affected in the village Ghue and the Government identified the forest land which is about 25-52-52 hectare in Dhar Kanjampa near Hurling for allotment in exchange to the affected people. We sent the case to the Ministry of Environment and Forest , Government of India but unfortunately Government of India rejected our request on the grounds that there is no provision for providing forest land for these families. This is most unfortunate and these 20 families are suffering. Now we have decide to take up this case again with the Ministry of Environment and Forest . I will also personally write a letter to Union Minister of Environment and Forest because in tribal area there is a land without forest. In the village Ghue and Hurling also where the land has been identified is without forest. Not even a single tree is there. **I assure the Hon'ble Member that we will again take up this matter with the Ministry of Environment & Forest to persuade them to give sanction to the affected persons.**

Contd.. by Sh. A.G.

04.03.2016/1200/केएस//एजी/1

Health Minister Continues . . .

So far as FRA is concerned, every Deputy Commissioner has been asked - and we have authorized SDM - that FRA be constituted in every panchayat so that the customary rights of the person living there are not affected and they will have to give NOC and resolution by the Gram Panchayat.

Concluded

प्रश्न काल समाप्त

04.03.2016/1200/केएस//एजी/2

कागजात सभा पटल पर

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समिति के प्रतिवेदन :

उपाध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, **सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)**, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा

सदन के पटल पर रखता हूं।

i. समिति का **122वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल) पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का **123वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है ।
iii.

04.03.2016/1200/केएस//एजी/3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपाध्यक्षः अब श्री अनिरुद्ध सिंह जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा मा0 मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें।

श्री अनिरुद्ध सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान "दिनांक 28 फरवरी, 2016 को शिमला के भट्ठाकुफर स्थित गौ-सदन में बैल की हुई निर्मम हत्या" की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, भट्ठाकुफर स्थित गौ-सदन में बैल की निर्मम हत्या हुई जिससे पूरे क्षेत्र में डर का एक माहौल और साम्प्रदायिक हिंसा का खतरा उत्पन्न हो गया है। उस दिन मैं चण्डीगढ़ में था मुझे इस सम्बन्ध में फोन आया। मेरी उसी वक्त एस.एच.ओ. और डी.एस.पी. से इस सम्बन्ध में बात हुई। एस.पी. शिमला ने स्वयं स्पॉट पर जा कर कार्रवाई की और लगभग 200 लोगों से अभी तक इस सम्बन्ध में पूछताछ की गई है परन्तु दोषी पकड़े नहीं गए हैं। मेरे पास जो बैल की निर्मम हत्या हुई है उसके फोटोग्राफ भी है जिनको देखकर रूह कांप जाती है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है

कि इस सम्बन्ध में तुरन्त पुलिस को निर्देश दें कि अपराधी को जल्दी से पकड़ा जाए और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

04.03.2016/1200/केएस//एजी/4

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अनिरुद्ध सिंह, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैंः-

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी गांव हनोगी, थाना कुपवी तहसील चौपाल जो भट्ठाकुफर में श्री महेन्द्र ठाकुर के पार्किंग लॉट में कार्य करता है, के बयान के अनुसार, इस पार्किंग लौट के साथ एक पशुओं का शैड भी है। इस शैड का निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में इस शैड में 7-8 पशुओं को रखा गया है।

पिछले 4-5 दिनों से वह इन पशुओं को चारा व पानी दे रहा था। दिनांक 28.02.2016 को लगभग 7.00 बजे प्रातः जब वह शैड में गया तो उसने पशुओं को बाहर देखा। उसने सोचा कि किसी व्यक्ति ने पशुओं को बाहर छोड़ दिया होगा इसलिए वह वहां से चला गया। लगभग 9.00 बजे जब वह दोबारा शैड की ओर गया तब उसने देखा कि शैड का दरवाजा बन्द था। उसने यह पता करने के लिए कि क्या कोई पशु शैड के अन्दर तो नहीं है, शैड का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बैल घायल अवस्था में दरवाजे के पास पड़ा था जिसकी पूंछ कटी हुई लग रही थी तथा उसके पेट से खून निकल रहा था। बैल दर्द के कारण संघर्ष कर रहा था। उसने तुरन्त इस घटना के बारे में सूचना महेन्द्र सिंह को दूरभाष पर दी जिसने पुलिस को मौके पर बुलाया। तब तक बैल की मृत्यु हो चुकी थी। उसे शक हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैल के साथ अत्याचार किया है।

उपरोक्त बयान पर अभियोग संख्या 37/16 दिनांक 28.02.2016 को IPC की धारा 429 व पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अन्तर्गत थाना ढली में पंजीकृत किया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

4.3.2016/1205/av/ag/1

मुख्य मंत्री ------ जारी

इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

1. इस सूचना के मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक (शहर) स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर गए।

2. पुलिस अधीक्षक, शिमला द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया तथा उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

3. अन्वेषण के दौरान मृत बैल का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा करवाया गया।

4. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृत बैल के शरीर में तीन चोटें पेट व पूंछ में लगना पाई गई हैं। बैल की मृत्यु घावों तथा अधिक खून बहने से हुई है।

5. मृत बैल के खून, पेशाब, बाल, चमड़ी व फेफड़े, जिगर, लिवर व बड़ी आंत के उत्तकों के नमूने प्रिजर्व करके एफ.एस.एल., जुन्गा भेजे गए हैं। परंतु मृत्यु के कारणों के सही नतीजे पर फोरैंसिक लैब जुन्गा से जांच रिपोर्ट मिलने पर ही पहुंचा जा सकता है।

6. कुछ खून के धब्बे पशु चिकित्सालय के समीप एक दुकान के बरामदे में पाए गए, जो पशु शैड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। जिनका विशेषज्ञों द्वारा प्रिज़र्व करके विश्लेषण किया जा रहा है।

7. पार्किंग लौट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित करना पाये गए, जो पशु शैड के महत्वपूर्ण हिस्से की ओर जाने वाले रास्ते के भाग को कवर करते हैं। किन्तु पशु शैड सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रेंज में नहीं आता है।

4.3.2016/1205/av/ag/2

सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज को प्राप्त किया गया है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। किन्तु अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है।

8. सी0सी0टी0वी0 कैमरा नं0-2 की गहनता से विश्लेषण से दिनांक 28.2.2016 को 3:49 बजे प्रातः दो व्यक्तियों जैसी परछाइयां गऊशाला के नजदीक कच्ची सड़क में पाई गई है। ये परछाइयां पुनः 4:09 बजे प्रातः उसी स्थान पर फिर से पाई गई। क्योंकि रिकॉर्डिंग का स्तर बहुत घटिया है अतः इन परछाइयों को किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए ज्यादा विकसित नहीं किया जा सकता।

9. उप पुलिस अधीक्षक (शहर) के नेतृत्व में पुलिस के सात अलग-अलग दस्तों द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

10. अभी तक 400 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है किंतु किसी भी अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।

11. इस क्षेत्र में रात्रि को पुलिस द्वारा प्रभावी गश्त नियमित रूप से की जा रही है।
12.मौके के आस-पास के रास्ते व पगडंडियों में किसी खून के धब्बे व अन्य सबूत पाये जाने की सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए उनकी गहनता से तलाशी की गई है।

टीसी द्वारा जारी....

040.03.2016/1210/TCV/AS/1

माननीय मुख्य मंत्री ---- जारी

13. इस क्षेत्र में प्रचलित छः मोबाईल सेवा प्रदताओं (Service Providers) का मोबाईल डम्प डाटा प्राप्त किया गया है, जिसका व्यापकता से विश्लेषण किया जा रहा है।

14. अभी तक के अन्वेषण से इस घटना में कोई भी साम्प्रदायिक angle नहीं पाया

जा रहा है। स्थानीय लोगों को शक है कि इस घटना में किसी तांत्रिक इत्यादि की संलिप्तता है। इस पहलू पर भी अन्वेषण किया जा रहा है।

040.03.2016/1210/TCV/AS/2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "शिमला के इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज से वरिष्ठ प्राध्यापकों व चिकित्सकों के स्थानान्तरण से मरीज़ों को हो रही भारी असुविधा" से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों 'दैनिक जागरण' में ही 29-02-2016 को एक बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट स्थानांतरण सूची की आई है। इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रीमियम मैडिकल इन्सटीच्यूशन है। इसमें एम0बी0बी0एस0 के लिए 65 सीटें होती थी, जो माननीय धूमल जी के रहते हुए 100 की गई। पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासिज़ थी उसमें भी संख्या में बढ़ौतरी की गई। इसके अलावा सुपर स्पैशेलिटी के डी0एम0ई0 के लिए भी कुछ सैंक्शन्ज़ एम0सी0आई0 से प्राप्त हुई है। इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में सारे प्रदेश से मरीज़ इलाज़ के लिए आते हैं। माननीय मंत्री जी (स्वास्थ्य) पिछले क्वैचन ऑवर में बता रहे थे कि चिकित्सकों की कमी हैं, लेकिन यदि बाहर के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी होती है और आई0जी0एम0सी0 में डॉक्टर मिल जाये तो इलाज़ होना संभव है। दूसरा मैडिकल कॉलेज टांडा में खुला है। पहले इन दोनों के मैडिकल कॉलेजिज़ टांडा में चले। इसलिए इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज से कुछ टीचर्ज़ को प्रमोशन देकर वहां भेजा गया था। लेकिन बाद में दोनों कॉलेज़िज़ के कॉडर सैपरेट हो गए। परन्तु नाहन,हमीरपुर और चम्बा में तीन नये मैडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अभी तक जो डी0एम0ई0 रिटायर हुई है,उनको मैडिकल कॉलेज नाहन के लिए प्रिंसिपल अप्वाईंट किया गया है। बाकी शिमला के चिकित्सकों को ट्रांसफर ऑर्डर्ज़ थमा दिए गए हैं और ये सारे अखबारों में प्रचारित/प्रकाशित हो रहे हैं। शिमला, मैडिकल कॉलेज के सारे

अध्यापक जो अध्यापन का कार्य ही नहीं करते बल्कि जनरल सर्जरी, मैडीसन, न्यूरोलोजी और अन्य कई प्रकार के पेशैंटों को

040.03.2016/1210/TCV/AS/3

भी देखते हैं। यदि यहां से सारे अध्यापक (चिकित्सक) निकाल करके नाहन मैडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफर कर देंगे, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसके कारण यहां मरीजों को भारी असुविधा होगी। अभी भी आधे टीचर्ज़ (चिकित्सक)सर्दियों में 29 जनवरी तक छुट्टी पर रहते हैं और आधे टीचर्ज़ (चिकित्सक) 29 जनवरी के बाद छुट्टी पर जाते हैं। उसके कारण भी यहां पर बहुत सारा काम बन्द हो जाता है। शिमला में जिस प्रकार से पीलिया का प्रकोप हो गया, हजारों लोग पीलिया से प्रभावित हो गये, उनका इलाज़ करना तो ठीक से संभव नहीं हो पा रहा है और आप यहां से टीचर्ज़ (चिकित्सक) को ट्रांसफर करके नाहन मैडिकल कॉलेज भेज रहे है। उनके साथ ब्लैक-मेलिंग की जा रही है कि यदि आप नाहन जाएंगे तो आपकी रिटायरमेंट ऐज़ 65 साल हो जाएगी और यदि आप आई0जी0एम0सी0, शिमला में ही रहेंगे तो आपकी रिटायरमैंट ऐज़ 62 साल ही रहेगी। इस प्रकार की स्थिति से जहां एक तरफ मरीजों को असुविधा होगी, वहीं इस मैडिकल का जो रिसर्च वर्क है, वह भी प्रभावित होगा। इसके अलावा मैडिकल कौसिल ऑफ इंडिया की इसको (आई0जी0एम0सी0, शिमला) मान्यता मिली है। लेकिन यहां पर डॉक्टर्ज़, स्टॉफ और टीचर्ज़ कम होने से डी0एम0ई0 और एम0डी0 की क्लासिज़ के लिए यह मान्यता समाप्त हो जाएगी । यह भी हो सकता है कि एम0बी0बी0एस0 की क्लाजिसज़ के लिए भी मान्यता रद्द हो जाये।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

4.03.2016/1215/RKS/DC/1

श्री सुरेश भारद्वाज द्वारा ....जारी

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो एक्सिटिंग संस्थान हैं उनको नुक्सान मत कीजिए। जनता को सफर मत कीजिए। यहां की वर्किंग समाप्त हो जाएगी। उसको आप वर्किंग करने दीजिए। अगर आपने 65 साल की उम्र कर ही दी है तो आप फैकल्टी

एडवरटाइज कीजिए। फैक्लटी मैम्बर्ज आपको बाहर से भी मिल जाएंगे। आप नए लोगों को एप्वाईंटमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग जो डी.एम. या एम.डी. करते हैं, उनको अगर आप उचित स्थान हमीरपुर, नाहन या चम्बा देंगे तो वे वहां नौकरी कर सकते हैं। आई.जी.एम सी. को समाप्त करके दूसरे कॉलेज को बढ़ाना उचित बात नहीं हैं। आई.जी.एम.सी. को ओर ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसको आप अपग्रेड करके इंस्टीट्यूट लेवल पर ले जाइए। चाहे इसको ऑटोनॉमी देनी हो अथवा विश्वविद्यालय में कनवर्ट करना हो। मेडिकल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की आज की आवश्यकता है। एम्ज आपको केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी और नड्डा जी ने दिया है। तीन मेडिकल कॉलेज आपको केंद्र सरकार की सहायता से मिल रहे हैं, इसलिए आप आई.जी.एम.सी. को अपग्रेड कीजिए। इसको आप इंस्टीट्यूट लेवल पर लाइए या विश्वविद्यालय में कनवर्ट कीजिए। आप इसको समाप्त करके दूसरी जगह मैडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। यह कोई उचित बात नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। यहां से फैकल्टी को नहीं बदला जाना चाहिए। अगर आपने नई जगह संस्थान बनाने हैं तो आप सबकी उम्र 62-65 साल कर दीजिए। यह एम.सी.आई. और सबकी सिफारिश है। आपको फैकल्टी नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। लोग नौकरी के लिए प्राईवेट होस्पिटल में चले जाते हैं। उनको वहां पर शीघ्र ही लाखों-करोड़ों रुपए मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इन्सैंटिव देंगे तो बहुत सारे लोग आपके कॉलेजिज में आएंगे। आप लालच या ब्लैकमेलिंग करके लोगों को आई.जी.एम.सी. या टांडा से ट्रांसफर मत कीजिए। इससे हमारे मरीज भी सफर होंगे, हॉस्पिटल भी सफर होगा और रिसर्च वर्क भी सफर होगा। माननीय मंत्री जी इस तरफ आपको ध्यान देंने की जरूरत है।

4.03.2016/1215/RKS/DC/2

उपाध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में रखा है, उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हूं। सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो इनकी शंका है कि मैडिकल कॉलेज को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या दबाव डाल रहे हैं, यह सरासर गलत है। मैं सिर्फ

यह कहना चाहता हूं कि मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने पिछली साल ही कुछ नॉर्म्स रिड्यूस किए हैं। उसके मुताबिक हमने जहां ऐसिसटेंट प्रोफेसर थे उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनाकर वहां भेजा है। उन्हें दो ऑप्सन दी गई है। उनको दो फायदे मिले हैं। पहला वे प्रमोशन पर जा रहे हैं, दूसरा वे 62-65 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे। उसके बाद भी उन्हें रि-इम्पलॉयमेंट मिल सकेगी। लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह इस प्रकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में प्रस्तुत है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में तीन मैडिकल कॉलेज नाहन, चम्बा और हमीरपुर में खोले गए हैं। इन मैडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वार इन महाविद्यालयों का नाम डॉक्टर यशवन्त सिंह परमार राजकीय मैडिकल कॉलेज, नाहन, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडिकल कॉलेज, चम्बा के नाम से अधिसूचित किया गया है।

नाहन में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु 21 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है, यह भूमि हरिपुर मुहल्ला नाहन में है जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमि है।

एच.एस.सी.सी. ने भी नाहन में मैडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4.03.2016/1215/RKS/DC/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,न्यू दिल्ली में दिनांक 10-02-2015 को इस संदर्भ में बैठक बुलाई गई थी जिसमें विशेष सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

04.03.2016/1220/SLS-DC-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एम. ओ. यू. के अनुसार उक्त मैडिकल कॉलेज 189 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा जिसमें 90 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत डॉ० यशवन्त सिंह परमार सरकारी मैडिकल कॉलेज नाहन में स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12.53 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का अंश तथा राज्य सरकार द्वारा 1.39 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर दी गई है। नए मैडिकल कॉलेज नाहन का निर्माण कार्य HSSC द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों अनुसार शुरू कर दिया गया है तथा लगभग 30 प्रतिशत् निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें एक रिसैप्शन हाल, एक ICCU और ICU, एक OT और 50 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार डॉ० यशवन्त सिंह परमार सरकारी मैडिकल कॉलेज नाहन में एम. बी. बी. एस. की कक्षाएं सैशन 2016-17 में शुरू की जानी प्रस्तावित है जिसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुरोध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों को पूरा करने के लिए अध्यापन संकाय के विभिन्न पदों की टैंपरेरी आधार पर तैनातियां की गई हैं। उक्त कॉलेज में अध्यापन संकाय में आचार्य के 6 और सह-आचार्य के 12 पदों पर स्टॉप-गैप अरेंजमैंट आधार पर पदोन्नत करते हुए तैनाती की गई है जिससें कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों को पूरा किया जा सके। सरकार द्वारा पदोन्नति के उपरांत तैनातियां आई. जी. एम. सी. में नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा प्रवक्ताओं की भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार वांछित संस्थाओं को कम किए बिना की गई है। यह मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के नार्मज के अनुसार की गई है। यदि कोई पदोन्नति नहीं चाहता और वहां नहीं जाना चाहता तो वह नियमानुसार इसे फोर-गो भी कर सकता

04.03.2016/1220/SLS-DC-2

है। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है। न इसमें ब्लैक मेल है न कोई प्रैशर टैक्टिक्स है। एक स्टैप ऊपर कर उनको भेजा गया है। It is their option whether they would like to join or not.

जहां तक आपने सुपर स्पैशलिटी की बात की है, केवल दो-तीन विभागों में सुपर स्पैशलिटी है। उनसे कोई भी प्रोफ़ेसर, एसोशियेट प्रोफ़ेसर या असिस्टैंट प्रोफ़ेसर हमने ट्रांसफर नहीं किया है। इसी तरह से, आपने कहा कि स्थानांतरण किया गया है। अख़बार में आया है कि स्थानांतरण किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है। जैसा मैंने कहा, इनको एक स्टैप ऊपर प्रोमोशन देकर भेजा गया है। it is for them to decide whether they would like to join there or not to join there. If they don't want to join there, they can write to the government that they don't want to go there.

इसी तरह से, टाण्डा मैडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसरों की कमी थी, वहां से इसीलिए कम भेजे गए। IGMC से हमने ज्यादा लोग भेजे हैं। मैं इस सदन को और सुरेश भारद्वाज जी को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि IGMC की day-to- day functioning में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। हमारे पास यहां पर बहुत ज्यादा प्रोफ़ेसर्ज़, एसोशियेट प्रोफ़ेसर्ज़, असिस्टैंट प्रोफ़ेसर्ज़ और सीनियर रैजिडैंट्स हैं। वह सारे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। रैफर्ड मरीजों को भी वह यहां पर ला रहे हैं।

इसी तरह से आपने बाहर से प्रोफ़ेसर्ज़ लाने की बात कही। हमने निश्चित तौर पर नेशनल पेपर्ज़ में दिया है। दूसरे राज्यों से, दूसरे मैडिकल कॉलेजों से; जहां आयु 62 वर्ष है, उनको भी हम वॉक-इन-इंट्रव्यु के माध्यम से कमेटी बनाकर मैरिट के आधार पर रखेंगे और उस मैडिकल कॉलेज को चलाने के लिए हम प्रयत्नशील है; हमारी पूरी कोशिश है। इस तरह ओपन मार्किट से भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन MCI की शर्तें ज़रूर हैं। MCI की टीम आने वाली है। इसलिए जो स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़, एम. एस., एम. डी. या गाईनेकोलोजिस्ट थे, जिनकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस थी,

जारी ...गर्ग जी

04/03/2016/1225/RG/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----क्रमागत

उनको भी हमने designated Assistant Professor बनाकर उस मैडिकल कॉलेज में तैनाती दी है। तो मैं इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आई.जी.एम.सी. की वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमने उनको यह भी ऑप्शन दी है कि if they want promotion they can go and if they don't want promotion they can forego.

04/03/2016/1225/RG/DC/2

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण

उपाध्यक्ष : अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने रखा और श्री अजय महाजन जी ने जिसका अनुसमर्थन किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। चर्चा में कुल 34 सदस्यों ने भाग लिया जिनमें से प्रतिपक्ष के नेता सहित 16 सदस्यों ने विपक्ष से भाग लिया तथा पक्ष के 16 सदस्यों ने एवं दो अन्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। मैं माननीय सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो प्रदेश की जनता के सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने चर्चा में भाग लेते हुए कुछ मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व किए गए कोई भी वायदे पूरे नहीं किए हैं। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य का वार्षिक योजना आकार बढ़ा है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश का सालाना योजना आकार 3,700 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2013-14 में 4,100 करोड़ रुपये पहुंचा तथा वर्ष

2014-15 में यह 4,400 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 4,800 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2016-17 के लिए यह आकार 5,400 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। तो हर साल यह पैसा बढ़ा है और चुनाव के दौरान किए गए अधिकतर वायदे पूरे कर दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रथम अप्रैल, 2015 से सामाजिक सुरक्षा पेन्शन 450/-रुपये से बढ़ाकर 600/-रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों अथवा 70% अपंगता के ऊपर वाले लाभार्थियों को यह राशि 1100/-रुपये कर दी गई है और 3,39,921 व्यक्तियों को सामाजिक पेन्शन योजनाओं का लाभ हो रहा है।

04/03/2016/1225/RG/DC/3

सरकार ने 'बेटी है अनमोल योजना' के अन्तर्गत 23.7.2015 से पुरानी दरों में 50% वृद्धि की है जो छात्रवृत्ति राशि 300/-रुपये से 1500/-रुपये थी इसे बढ़ाकर 450/-रुपये से 2,250/-रुपये कर दिया गया है। सरकार द्वारा

एम.एस. द्वारा हिन्दी जारी

04/03/2016/1230/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी------

"बाल बालिका सुरक्षा योजना" के अंतर्गत सहायता राशि प्रथम अप्रैल, 2015 से 500/-रुपये प्रति बच्चा प्रति माह से बढ़ाकर 2300/-रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर दी गई है। It is a quantum jump.

स्वतंत्रता सैनानियों की सम्मान राशि को 7500/-रुपये से बढ़ाकर 10,000/-रुपये किया गया है और उनकी विधवा पत्नियों एवं पुत्रियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 3500/-रुपये से बढ़ाकर 5000/-रुपये किया गया है।

सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए "राजीव गांधी अन्न योजना" लागू की गई है। योजना में लगभग 37 लाख लोगों को हर महीने तीन किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो

और दो किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो और प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत तीन वर्षों में इस पर लगभग 980 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बेरोज़गार युवकों के कौशल विकास के लिए 500/-करोड़ रुपये की "कौशल विकास भत्ता योजना" आरंभ की गई है जिसमें पात्र युवकों को 1000/- रुपये मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवकों को 1500/-रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। हमने कौशल विकास निगम भी स्थापित किया है। अभी तक 74 करोड़ 1 लाख 23 हजार 300 रुपये कौशल विकास भत्ता पर व्यय कर 1,10, 601 युवा लाभान्वित हुए हैं।

"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के दायरे से बाहर दिहाड़ीदार, अंशकालीन कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकत्ता/सहायिकाएं तथा मिड डे मील कार्यकर्त्ताओं को "मुख्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" के अंतर्गत लाया जा रहा है।

मनरेगा कार्यकर्त्ता, कृषि एवं बागवानी मजदूर, दुकान में काम करने वाले तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत्त कामगार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं मिड डे मील कार्यकर्त्ताओं को लाभान्वित करने के लिए "अंशदायी पैंशन योजना" शुरू की है। मनरेगा के तहत तीन वर्षों में 1474 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय किए गए हैं तथा 708 लाख 63 हजार कार्य दिवस सृजित किए गए हैं।

04/03/2016/1230/MS/AG/2

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1200 नई बसें शामिल की गई हैं। 20 नई उप-तहसीलों और सात नये राजस्व उप-मण्डल गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 13 उप-तहसीलों को तहसीलों में स्तरोन्नत किया गया है। वर्तमान सरकार ने गत तीन वर्षों में लगभग 28,000 से अधिक युवकों को सरकारी नौकरियों में रोज़गार प्रदान किया है। गत तीन वर्षों 1415 किलोमीटर नई सड़कों व 134 पुलों का निर्माण किया गया है तथा 255 गांव सड़कों से जोड़े गए हैं। 2316 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया तथा 4529 सड़कों पर पुनः तारकोल बिछाया गया। अकुशल कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी 150/-रुपये से बढ़ाकर 180/-रुपये की गई है। "मुख्य मंत्री आदर्श कृषि ग्राम योजना" के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा की दो-दो पंचायतें शामिल की गई हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

04.03.2016/1235/जेएस/एजी/1

मुख्य मंत्री:-----जारी-------

इन पंचायतों में कृषि ढांचे के विकास लिए 10-10 लाख रूपये प्रदान किए गए।

बागवानी फसलों को ओलों से बचाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान पर एंटी हेल हेलनैट्स उपलब्ध करवाई जा रही है। लगभग 879 पॉली हाऊस निर्मित किए गए तथा1, 32,795 वर्गमीटर क्षेत्र संरक्षित खेती के तहत लाया गया है।

आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता को 48000 रूपये से बढ़ा कर 75,000 किया गया है इंदिरा आवास योजना के तहत 13,652 घर तथा राजीव आवास योजना के तहत 2141 घर पिछले तीन वर्षों में निर्मित गए हैं।

ऊना जिला के लिए 922 करोड़ 48 लाख रूपये की स्वां नदी तटीयकरण परियोजना तथा कांगड़ा जिले की इन्दौरा तहसील में 180 करोड़ रूपये की छौंछ खड्ड तटीयकरण परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि यह कार्य भारत सरकार की मदद से यह योजना मन्जूर हुई थी और मौजूदा जो बजट अभी भारत सरकार का है जो कि अभी पास होना है उसके अन्दर भी इन स्कीमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का प्रावधान था। मगर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि केन्द्रीय बजट में प्रावधान होते हुए भी इस वर्ष की राशि जो हिमाचल प्रदेश को मिलनी थी वह नहीं मिल पाई है। जिसकी वजह से स्वां नदी का काम रुक गया है। मैं इस सदन के मार्फत् माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो उनके बजट में है, जो पिछला बजट है या अभी का बजट है और नया बजट आने को है उसमें हिमाचल प्रदेश को देने के लिए जो धनराशि का प्रावधान था उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें ताकि वहां पर जो बकाया काम है वह तेज़ी से आगे चल सके।

04.03.2016/1235/जेएस/एजी/2

वन्य प्राणी क्षेत्रों का युक्तिकरण कर 775 गांवों को वन क्षेत्र से बाहर निकाल कर एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में 994 नये स्कूल खोले अथवा स्तरान्नत किए गए। वास्तव में सही आंकड़ें जो हैं, एक हजार से ज्यादा स्कूल खोले गए हैं । लोगों की आवश्यकता को मध्यनज़र रखते हुए पढ़ाई के लिए स्कूल घर के नज़दीक हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चें उनमें दाखिल हो सके उस उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने भारी मात्रा में आवश्यकतानुसार नये स्कूल खोले हैं। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 100 डिग्री कॉलेजिज है। उसकी वजह से न केवल हमारे लड़कों को फायदा पहुंचता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अन्दर लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। अगर वे कॉलेज या स्कूल उनके घर के नज़दीक न होते तो कभी भी वे घर से दूर जा कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसमें कोई खर्चें का प्रश्न नहीं है इसमें एक सामाजिक उद्देश्य है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---------

04.03.2016/1240/SS-AS/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

ताकि प्रदेश के हर युवक के लिए चाहे वह शहर में रहता है या दूर-दराज के गांव में रहता है उच्चतम शिक्षा का प्रावधान उसके घर के नज़दीक हो सके।

पिछले तीन वर्षों में 994 स्कूल खोले गये। मैं कहना चाहूंगा कि एक हजार से ज्यादा स्कूल खोले गये हैं और 25 नये डिग्री कॉलेज खोले गये हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इसके बाद भी कॉलेज खुले हैं, आज गवर्नमैंट स्कूलों की मात्रा 100 के आंकड़े को पार कर गई है।

जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों में 14वें वित्तायोग की सिफारिश के अनुसार धनराशि आबंटित की जा रही है। आप जानते हैं कि जब 13वां वित्तायोग था उसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए विशेष रूप से धन का प्रावधान किया। जिसमें न केवल

ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें भी शामिल थीं। मगर अभी जो 14वें वित्तायोग की सिफारिश है उसमें पंचायती राज संस्थाओं के नाम से जो पैसा गया है वह केवल ग्राम पंचायतों के लिए है। उसमें पंचायत समिति और जिला परिषदों का कोई ज़िक्र नहीं है। तो हम इस बात को फिर से उठायेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो हम पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी अपने संसाधनों से वित्त पोषण करने का प्रयास करेंगे। जून, 2015 व 25 फरवरी, 2016 को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार को अधिशासकीय पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि कुछ प्रतिशत धनराशि जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों को भी चिन्हित करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 14वें वित्तायोग ने पंचायती राज के क्षेत्र में पैसा दिया है उसमें से कुछ पैसा हमारे जिला परिषद् और पंचायत समितियों को भी मिले। **अगर उसमें सफलता नहीं हुई तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम फिर अपने संसाधनों से उनका यथासम्भव वित्त पोषण करेंगे।**

विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न नहीं हुए। यह बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है कि कहीं इक्की-दुक्की जगह पर कुछ गड़बड़ हुई हो या वहां पर कुछ अशांति फैली हो, मगर कुल मिलाकर सभी पंचायतों के अंदर बड़े शांतिपूर्वक और कानून के मुताबिक चुनाव

04.03.2016/1240/SS-AS/2

हुए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उस चुनाव में जो प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उनमें से भारी अंश उन लोगों का है जोकि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। --(व्यवधान)-- वह आगे वक्त बतायेगा। हा-हा क्या करते हो, दो साल में इलैक्शन आने वाले हैं तब पता लग जायेगा। अभी तो हा-हा कर रहे हैं तब हूं-हूं करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में नवम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 के दौरान पंचायत तथा नगर निकायों के छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सारे शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हुए हैं। --(व्यवधान)-- यह मत बोलिये। ज्यादा-से-ज्यादा आप यही कह सकते हैं कि आपकी सूचना ठीक नहीं है। अगर मैं यह कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या यह मुझे शोभा देता है कि मैं आपके लिए यह कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? यह संसदीय भाषा नहीं है। यह गली-कूचे की भाषा है।

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2016/1245/केएस//एएस/1

मुख्य मंत्री जारी----

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गला खराब था लेकिन जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा गला खुल रहा है और हो सकता है कि भाषण के अन्त तक मैं और भी अक्रामक हो जाऊं।---(व्यवधान)--- मैं मज़ाक कर रहा हूं , मज़ाक भी समझा करो। हर चीज़ को गम्भीरता से मत लो । जीवन हंसी-खुशी और मज़ाक में बीतना चाहिए। कुछ बातें आपको बताने के लिए, कुछ चेतावनी देने के लिए, कुछ आपको हंसाने के लिए और कुछ बातें आपका दिल बहलाने के लिए की जाती है। बेशक हम माननीय सदन के आर-पार, एक-दूसरे के सामने बैठते हैं मगर हम सभी हिमाचल के लोग है और हम में से अधिकांश गांव से आने वाले लोग है, पहाड़ी लोग हैं। मैं आपका राजनीतिक गुरु तो नहीं बन सकता मगर मैं आपको रास्ता दिखाने वाला जरूर बन सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कांगड़ा कॉप्रेटिव बैंक के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जा रहे भर्ती प्रक्रिया पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि IBPS संस्थान द्वारा ऑफ लाईन भर्ती प्रक्रिया बन्द करने तथा ऑन लाईन प्रक्रिया हेतु हिमाचल प्रदेश में उनको सीमित परीक्षा केन्द्र होने के कारण बैंक के संचालक मण्डल द्वारा भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया था जो बिल्कुल पारदर्शी है और मैं जानता हूं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और वह उस व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो श्री प्रेम कुमार धूमल जी के परम मित्रों में से एक है और जो इनके कार्यकाल में कांगड़ा कॉप्रेटिव सैंट्रल बैंक के अध्यक्ष रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह बताया गया था कि मुख्य मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए हम बीच में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। जिस दिन मैं

बोल रहा था, उस दिन जिस तरह से आप बार-बार उछल रहे थे, जिस तरह से आपने इंटरवीन किया था, अगर हम सभी ऐसा करेंगें तो आप कितना बोल पाएंगें? क्या कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वह मेरा परम मित्र होता है?

04.03.2016/1245/केएस//एएस/2

मुख्य मंत्रीः ठीक है, जो मैंने कहना था, कह दिया। The matter is sub- judicious, I don't want to say anything further about it.

उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत निवारण आयुक्त की नियुक्ति के बारे में प्रश्न उठाया गया था और दूसरे, यह भी कहा गया था कि सरकार ने सिटिजन चार्टर नहीं बनाया है। मैं कहना चाहूंगा कि जन शिकायत निवारण आयुक्त लगाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार के 30 विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त सम्बद्ध एवं पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत 16 विभागों द्वारा 90 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष जी, यह भी कहा गया था कि कोल्ड स्टोर बनाने का मामला भी उठाया गया था। मैं सूचित करना चाहूंगा कि बागवानी मिशन के अंतर्गत चार सी.एस. हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

4.3.2016/1250/av/dc/1

मुख्य मंत्री------ जारी

जिनमें से वर्ष 2014-15 में 2सी0ए0 स्टोर सैंज, तहसील ठियोग, जिला शिमला 3500 मीट्रिक टन केपैसिटी का है तथा अन्य गांव कोटला, तहसील बद्दी, जिला सोलन में 5671 मीट्रिक टन का है; स्थापित किए गए। जिनके लिए क्रमशः 6.16 करोड़ तथा 14.30 करोड़ रुपये की राशि उपदान के रूप में दी गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि कोऑपरेटिव बैंक में लोन देने के नाम पर कमिशन का धंधा चल रहा है। मेरा

माननीय विपक्ष के नेता से अनुरोध है कि वे स्पैसिफिक साक्ष्य दें तो उसकी पूरी जांच की जायेगी। इस तरह से कीचड़ फेंकने से कोई फायदा नहीं है। आप साक्ष्य दें। (---व्यवधान---) हम क्यों पता करेंगे। आप अंगुली उठा रहे हैं, आपको जानकारी होगी। अगर आपको किसी के बारे में जानकारी है तो आप हमें साक्ष्य दें। मैं आपसे वायदा करता हूं कि उसकी पूरी जांच की जायेगी तथा जो उसमें दोषी पाया जायेगा, उसको दण्डित किया जायेगा। महज इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता।

उद्योगों के माध्यम से पूंजीनिवेश नहीं हो पा रहा है तथा रोजगार के अवसर सृजित करने में सरकार नाकाम रही है। प्रदेश से उद्योगों का पलायन भी हो रहा है। इस बारे में भी प्रेम कुमार धूमल जी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने जिक्र किया था। आज प्रदेश में लगभग 41000 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिनमें कुल निवेश 19000 करोड़ रुपये है और लगभग 2,90,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इनमें से गत तीन वर्षों में प्रदेश में 1569 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जिनमें मु0 2454.96 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और वहां 16623 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में स्थापित उद्योगों को पलायन से रोकने व नये औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाये गये हैं:-

4.3.2016/1250/av/dc/2

1. डैफरमैंट ऑफ वैट का प्रोत्साहन विभिन्न अवधियों के लिए प्रदेश के विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के लिए प्रदान किया जा रहा है।

2. वर्तमान में स्थापित उद्योगों से अगले 5 वर्षों में सी0एस0टी0 1.5 प्रतिशत की रियायती दर से लिया जायेगा।

3. नये उद्योगों से सी.एस.टी. रेट अगले 5 सालों में 1 प्रतिशत रियायती दर से लिया जायेगा।

4. नये उद्योगों से एंट्री टैक्स 1 प्रतिशत तथा वर्तमान में स्थापित उद्योगों से 2 प्रतिशत के हिसाब से वसूला जायेगा।

5. वर्तमान में स्थापित उद्योगों और नये उद्योगों के लिए 2 प्रतिशत तक

कनसैशनल रेट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जा रही है।

6. डिजिटल जनरेटर सैट के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा पर 5 वर्षों तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी से राहत दी जा रही है।

7. नये स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए 50 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी की राहत दी गई है।

8. फ्लोर एरिया रेट्स में छूट दी जा रही है।

टीसी द्वारा जारी

040.03.2016/1255/TCV/DC/1

15 प्रतिशत Capital Investment Subsidy व 75 प्रतिशत Freight Subsidy की स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुछ राज्यों में नये निवेश की मंदी रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन हालातों के बावजूद भी नये इंडस्ट्रियल युनिट्स लगे हैं। ये इंडस्ट्रियल युनिट्स फल-फूल रहे हैं और उनको जो सुविधाएं सरकार दे सकती थी, वह दी है। बल्कि जो नहीं भी दी जानी चाहिए थी, वह भी दी है ताकि यहां पर कारखाने/उद्योग आयें। यहां पर वह ऐट-होम फील करें और अच्छे माहौल में कारोबार करें। साथ ही हमारे लोगों को रोजगार दें और हिमाचल प्रदेश की दौलत को बढ़ाएं। कई दूसरे राज्य भी अपने राज्य में उद्योगों को लगाने के लिए उन्हें आकर्षित करने कोशिश कर रहे हैं। उनको कई किस्म के प्रलोभन दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि our Industrial states in Himachal Pradesh चाहे वह किसी भी जिले के अन्दर है people have confidence in us and in our area. लेकिन आपने जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, वह ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति आना भी चाहेगा तो उसको भी आप डिमोरेलाइज़ करते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री महोदय, 63 युनिट्स परवाणू में बन्द हुए हैं। मालवा कॉटन मिल्ज़ बन्द हुई है। मालवा कॉटन मिल्ज़ बहुत पहले की थी। 2000 लोग (महिलाएं) इसके बन्द होने से बेरोजगार हुए हैं।

मुख्य मंत्रीः बिल्कुल नहीं । आप मालवा कॉटन को बन्द करने की बात करते हैं, वह बड़े पैमाने पर एक्सपैंशन कर रहा है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मेरे पास यह सूचना है।

मुख्य मंत्रीः वह सूचना आपके पास गलत सूत्रों से आई है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मैंने परवाणू की लिस्ट दी है।

मुख्य मंत्रीः हो सकता है, कई फैक्ट्रीज़ अपना बिजनेस बन्द करती है, कोई अपना बिजनेस बदलती है और कोई शिफ्ट करती है। इसका मतलब यह नहीं है

040.03.2016/1255/TCV/DC/2

कि उसकी जगह पर और नई फैक्ट्रीज़ नहीं आई है। There is no shortage of investors in all these industrial states. This I am saying confidently.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मैने तो लिस्ट दी है और I will send you the list of industries which have closed.

मुख्य मंत्रीः थैंक्यू फॉर इन्फोरमेशन। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 'रूसा' के अन्तर्गत स्नातक स्तर की कक्षाओं में इच्छा आधारित 'ग्रेड पद्धति' सी0बी0सी0एस0 (Choice Based Credits System) लागू की गई है। मैं जानता हूं कि 'रूसा' की कुछ लोगों ने बहुत मुखाल्फ़त की है। मगर जैसे-जैसे रूसा प्रदेश के अन्दर और जहां दूसरी जगह में लागू किया गया, वह वहां जम गया है। जब विद्यार्थी उसका लाभ देख रहे हैं और उससे जो उनको फायदा हो रहा है, उसको देख रहे हैं तो वे भारी मात्रा में इस पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके बारे में शुरू-शुरू में बहुत गुमराह किया गया और उसकी वज़ह से विरोध भी हुआ। आज 'रूसा' जहां-जहां भी लागू हुआ

है, उसका सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है and it prove to be a success.

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, रूसा के कारण हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की युनिवर्सिटियों में ऐडमिशन नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को पंजाब, दिल्ली और दूसरी कोई भी युनिवर्सिटीज़ ऐडमिशन नहीं दे रही है।

मुख्य मंत्रीः हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है। कहीं न कहीं तो ऐडमिशन जरूर मिल जाएगी। दो युनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ कुछ कोर्सिज़ के बारे में बात की है। सारे कोर्सिज़ की बात नहीं की है। Please don't downplay with achievements.

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

4.03.2016/1300/RKS/AG/1

मुख्य मंत्री द्वारा.... जारी

RUSA is a step ahead in the field of higher education. कभी-कभी जब नई पद्धति आती है तो उसके बारे में मन में कई शंकाएं होती हैं। कुछ जो प्रभावित लोग होते हैं वे लोगों का गुमराह करते हैं। जब कोई चीज एस्टाब्लिशड होती है, उसके बाद ही उसके फायदे और नुकसान का पता लगता है। By the way, I don't say that RUSA is free from all faults. There may be something which required to be done more. At the same time, it is progressive step ahead which will improve our education and widen the horizon of our students and also make them competitive in all matters. उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत स्नातक स्तर की कक्षाओं में इच्छा आधारित ग्रेड पद्धति (CBCS) च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू की गई है। दूसरे विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रणाली लागू की गई है। पंजाब व दिल्ली विश्वविद्यालय में शुद्ध विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय के विषय पढ़ने वालों को ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु मान्यता देते हैं। इस कारण हमारे विद्यार्थियों को यह कठिनाई हो रही है। But they are already giving admission only in certain areas. यह प्रकरण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उठाया जा रहा है। जैसे

ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सभी विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया जाएग। इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, यह किसी माननीय सदस्य ने विपक्ष की ओर से कहा है। मैं सूचित करना चाहूंगा कि विशेष योग्यता वाले बच्चों हेतु सुन्दरनगर में संस्थान चलाया जा रहा है। इस संस्थान में विभाग द्वारा मूकबधिर और दृष्टिहीन छात्राओं हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन इत्यादि की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना हेतु सरकार द्वारा 94.78 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा केंद्रित प्रायोजित योजना के अंतर्गत विकलांगजनों के लिए निम्नलिखित संस्थान संचालित किए जा रहे हैं:-

1. मुकबधिर बच्चों हेतु संस्थान, ढली।

4.03.2016/1300/RKS/DC/2

2. दृष्टिहीन बच्चों हेतु संस्थान, ढली।
3. अस्थिदोष से ग्रस्ति बच्चों हेतु संस्थान दाड़ी।
4. शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र ढली।

ढली में जो केंद्र है इसका बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। उसके अंदर पूरी तरह से ट्रेंड, क्वालीफाईड जो अध्यापक हैं, जो दृष्टिहीन को पढ़ा सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं उनको पढ़ा सके, इस तरह के विशेषज्ञ को भर्ती किय जा रहा है। ताकि उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। मैं अक्सर इन स्कूलों में जाता हूं और उनका निरीक्षण करता हूं। जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इन 2 जगहों के अलावा ओर कुछ चयनित स्थानों पर इस प्रकार की संस्थाओं को खोला जाए

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

04.03.2016/1305/SLS-AG-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

ताकि उनको अच्छी-से-अच्छी पढ़ाई मिले और उनकी अच्छी देखभाल हो सके।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मुख्य मंत्री महोदय, हमने यह मुद्दा उठाया था। उस दिन के ट्रिब्यून अख़बार में बहुत बड़ी ख़बर लगी थी कि हाई कोर्ट की स्टेट गवर्नमैंट को डायरैक्शन थी कि डिसएब्लड स्टुडैंट्स को, ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए।

मुख्य मंत्री : फ्री ही तो है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : उमंग फाऊंडेशन शिमला में इसके लिए बहुत बड़ा काम करती है। उनकी तरफ़ से बयान आया था कि हम कंटैप्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमैंट फाईल करने जा रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट की डायरैक्शन को नहीं माना गया। जो गवर्नमैंट की एजैंसीज हैं, हमें पता है कि वह चलती हैं। हमारे समय भी चलती थी, उससे पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है और आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्राईवेट NGOs बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, उनकी आप फंडिंग नहीं कर रहे हैं, यह मामला था।

मुख्य मंत्री : ऐसा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर प्राईवेट सैक्टर में कोई भी उच्च स्तर का इस प्रकार का स्कूल खोला गया होगा जिसमें मूक, बधिर या दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए उच्चतम शिक्षा प्रदान हो, निश्चित रूप में हम उनका वित्त पोषण करेंगे; इसमें कोई दोराय नहीं है। मगर पहले काम तो करो। स्कूल खोलो और अपने काम को दिखाओ, तभी जाकर सरकार फ़ैसला करेगी। ...(व्यवधान)... ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक संस्था ऊना के अंदर प्रेम आश्रम नाम से है, सरकार हर साल उनका वित्त पोषण कर रही है। वह संस्थान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : हम शिमला की बात कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : शिमला में कोई भी ऐसी संस्था सामने नहीं आई है। ...(व्यवधान)... यह अख़बार में आया होगा। मैं तो स्वयं इस तरह की चीजों में रुचि रखता हूं। मेरी विशेष

04.03.2016/1305/SLS-AG-2

रुचि इसी क्लास के लोग हैं। जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते; ऐसे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सरकार के पास कभी भी धन की कमी नहीं है। जो भी उनको उच्चतम शिक्षा देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनका ठीक तरह से पालन-पोषण करने के लिए आवश्यक होगा, उसके लिए सरकार आवश्यक धन दे भी रही है और हम देते रहेंगे, यह मैं साफ करना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के मापदंड की अवहेलना हो रही है। टैक्निकल ऐजुकेशन मीनिस्टर भी यहां पर हैं, वह भी गौर से सुनें। The State Government has laid down admission criteria from the session 2015-2016 onwards to fill up the vacant seats in respect of diploma courses and admissions are also allowed on the basis of minimum qualifying marks i.e. 50 per cent for General and 45 per cent for Reserved categories after exhausting the merit of PAT/PET. यह पॉलिसी है। मैं जानता हूं कि इसके बारे में पिछले कुछ वर्षों में कंफ्युजन रहा है। हमने बड़े हाई स्टैंडर्ड रखे जो सब जगह होने चाहिए, लेकिन बगल के राज्यों ने वह स्टैंडर्ड घटा दिए। इसलिए हमारे बहुत से विद्यार्थी जो यहां पढ़ना चाहते थे वह उन इंस्टिच्युशन में चले गए। हम भी इसमें कुछ ढील कर सकते हैं, करनी चाहिए, मगर इतनी न करें कि फिर वह बच्चे इतने निकम्मे हों कि ट्रेनिंग के बाद भी वह अनट्रेंड रहें because minimum education is required for these purposes. अगर हम कहें कि सभी को छूट हो तो ठीक नहीं है। मगर मैं यह चाहता हूं कि कई किसम के स्किल्ज हैं। किसी में दिमाग ज्यादा लगता है, किसी में हाथ ज्यादा लगता है। आप उसको देखिए और ऐसी प्रणाली बनाइए जिससे कि हिमाचल के ज्यादातर विद्यार्थी हिमाचल में ही शिक्षा पा सकें without compromising with standards.

हिंदी में ...गर्ग जी

04/03/2016/1310/RG/AS/1

मुख्य मंत्री----क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मुद्दा उठाया गया कि मण्डी, हमीरपुर व धर्मशाला के जनरल अस्पतालों में डायलैसिस की सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तकनीकी सुविधा के अभाव में बुजुर्गों के दांत आदि नहीं लग रहे हैं। I got this information from the Health Department. It is informed that under NHM Dialysis Centers at Solan, Mandi and Dharamsala have been started on PPP mode during 2015. Such a Dialysis Center can also be considered at Hamirpur. मैं चाहूंगा कि ऐसा वक्त आए कि डायलैसिस का प्रावधान ज्यादा-से-ज्यादा सेन्टर्ज विशेषकर जो हमारे मैडिकल कॉलेज या रीजनल हॉस्पीटल्ज हैं, उनमें हो जाए। तो निःसन्देह जो हमारा मरीज है जिसको डायलैसिस की जरूरत होती है उनको लाभ पहुंचेगा।---(व्यवधान)---केन्द्र के बजट को नमस्कार, मैं सुनता बहुत हूं, पढ़ता बहुत हूं, लेकिन जब प्राप्ति होगी तब धन्यवाद करुंगा। मण्डी, हमीरपुर व धर्मशाला के जोनल अस्पताल में डेन्टल मैकेनिक के क्रमशः एक-एक पद स्वीकृत हैं जोकि पिछले कई वर्षों से भरे हुए हैं और रोगियों के दांत नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं। जबकि बुजुर्ग रोगियों के दांत निशुल्क लगाए जाते हैं। हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो मैं अपने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जरूर कहूंगा, वे वैसे अच्छा कर रहे हैं, लेकन इसको और ज्यादा अच्छा एवं सुविधाजनक बनाइए ताकि हमारे वृद्ध लोगों को इससे फायदा मिले। मैं भी अब वृद्ध की अवस्था में आ गया हूं। हमारे दांत ठीक रहे, शुक्र है कि मेरे दांत तो अभी तक ठीक है। जिसने भी यह मुद्दा उठाया है, यह बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। It is a relevant issue which has been raised and we must address it. मेरे पास जो पेपर है इसमें लिखा है 'उन्होंने', अब यह पता नहीं कि वह कौन हैं? जब मैं देखता हूं कि लिखा है 'उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि धूमल साहब ने ही कहा होगा। क्योंकि धूमल साहब की लोग इज्जत करते हैं इसलिए नाम के बदले में इन्हें 'उन्हें' कहते हैं। उन्होंने बड़सर के भलक में डिपो पर कम वजन के दाल व तेल के पैकेट पाए जाने का जिक्र किया तथा दालों व नमक की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया।

एम.एस. द्वारा जारी

04/03/2016/1315/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी------

मैं यह सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि माह दिसम्बर, 2015 तथा जनवरी, 2016 की अवधि में राजमाह के 29 नमूनों की गुणवत्ता का विश्लेषण विभिन्न प्रयोगशालाओं में करवाया गया तथा 27 नमूने मानकों के अनुसार पाए गए। केवल दो नमूने मानकों के अनुसार सही नहीं पाए गए। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह लगभग 32 लाख पैकेट खाद्य तेल व 17 लाख पैकेट राजमाह प्रदेश के उपभोक्ताओं को वितरित किये जाते हैं व इतनी बड़ी आपूर्ति में एक या दो पैकेट में कमी को नकारा नहीं जा सकता है। हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस तरह की दुबारा घटना न घटे। तेल, दालें, नमक और अन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे व्यक्तिगत तौर पर, प्राप्त हो रहे खाद्य वस्तुओं की जांच करते रहें। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा भी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पूछा गया है कि क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया है कि बंदर, आवारा पशुओं व जंगली जानवरों के कारण कितने किसानों ने कृषि करनी बंद कर दी है। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में गौ-सदन खोलने की स्थिति भी जाननी चाही है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा बंदर की संख्या हेतु सर्वेक्षण जरूर करवाया गया है लेकिन बंदरों, आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से कितने किसानों ने कृषि करनी बंद कर दी है ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है।

जून 2013 की गणना के अनुसार प्रदेश में बंदरों की कुल संख्या 2 लाख 26 हजार 86 आंकी गई है। बंदरों की जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने 8 बंदर नसबंदी केन्द्र खोले हैं। इन केन्द्रों में 3 जनवरी 2016 तक 1,02,604 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है।

बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने तथा इन्हें वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 के अंतर्गत वर्मिन घोषित करने का मामला पुनः प्रभावी तरीके से केन्द्र सरकार से उठाया गया है। इस विषय पर पत्राचार जारी है। बंदरों एवं अन्य वन्य प्राणियों को उनके

04/03/2016/1315/MS/AG/2

प्राकृतिक आवास स्थल में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। एक बृहद योजना "Habitat Enrichment Plantation Model to provide natural food resources for Rhesus Monkeys" तैयार कर भारत सरकार को भेजी जा रही है।

जहां तक प्रदेश में प्रत्येक पंचायत में गौ-सदन बनाने का प्रश्न है इस बारे दिनांक 3 मार्च, 2016 को प्रश्नकाल के दौरान विस्तृत चर्चा हो चुकी है। यह भी कहा गया है कि प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड द्वारा तीन लाख इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद में गड़बड़ी का मामला उठाया गया है तथा भावा पावर हाउस में हुई आग की दुर्घटना का मुद्दा भी उठाया गया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

04.03.2016/1320/जेएस/डीसी/1

मुख्य मंत्रीः--------**जारी**------

मैं कहना चाहूंगा कि दिनांक 28.5.2012 को जारी आदेश के अनुसार बोर्ड द्वारा 17 करोड़ 39 लाख 54 हजार 700 रु0 में कुल 2 लाख 60 हजार मीटर तथा दिनांक 7.2.2014 के आदेशानुसार 7,86,52,200/-रूपये में से कुल 1,12,200 बिजली के मीटर दिल्ली कन्ट्रोल डिवाईसिज नोएडा से खरीदे गए। उसके उपरान्त दिनांक 21.2.2014 को 7,55,67,800/-रूपये में 1,07,800 मीटर मैसर्ज हिमाचल एनर्जी जाबली, सोलन से खरीदे गए। मीटरों के सैम्पल्ज की जांच सैन्ट्रल पॉवर रिसर्च लेबोरेटरी, बैंगलोर से करवाई गई। अधिकतर मीटर्ज इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक पाए गए।

कुछ Lots जो दिल्ली कन्ट्रोल डिवाईसिज द्वारा सितम्बर, 2014 से अक्तूबर, 2014 के बीच में दिए गए उनमें कुछ खराबियों की शिकायत आई है। जिसके लिए उपरोक्त कम्पनी को दण्डित किया गया है। कम्पनी की 78.65 लाख की गारंटी को कुर्क कर लिया है और आगे के Procurement Orders को रद्द कर दिया गया है। लगभग 10,000/- मीटर कम्पनी से मुफ्त लिए गए हैं तथा कम्पनी को भविष्य में निविदाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। As far as fire incident at Bhawa Nagar Power

House is concerned fire broke out in the 10 MVA 220/22 KV station transformer on 22nd January, 2015 at 3.30 A.M. Although there were no casualties, there was loss of Rs. 50.16 crore. Government conducted an independent inquiry through a committee consisting of Director (Electrical) HPPCL and Chief Engineer (E), Directorate of energy and action is being taken against defaulters.

The enquiry report clearly state that the cause of fire was 10 MBA 220/22 KV station transformer. The report establishes that the transformer was giving problem since 1993 and was not in use since 2003 and kept in unhealthy condition since then.

04.03.2016/1320/जेएस/डीसी/2

The enquiry report establishes that the fire fighting system, although one of the best available at the time of commissioning, was not maintained properly. Due toage factor (19 years) the system was not working in auto mode. Although system was revamped at a cost of Rs. 54, 18,700/-, it was not tested due to lack of availability of water. Since 2011 pipes supplying water were damaged and had not been repaired. Officers concerned had not approved to repair the cooling water pipes. Although, Rs. 30 lakhs in 2013-14 and Rs. 22 lakh in 2014-15 were provided in Annual work programme they remained unutilized by field officer.

Continued by DC.......

04.03.2016/1325/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

The inquiry report has also pointed out that the fault might have been

initiated from 22KV Incomer Breaker of 10MBA transformer. It is not possible to know the exact fault as the transformer has been completely burnt. It is pertinent to mention that this incomer breaker switch gear panel was lying idle for more than 10 years.

Thus It is evident that there has been gross negligence on the part of the officials responsible for operations, maintenance, safety and security of the power house that culminated in the fire incident on 22.1.2015.

I have directed that specific responsibility be fixed on various officials for these lapses for negligence and strict action taken on those found responsible.

The work for restoration has been awarded for Rs. 47.70 crore and is likely to be completed by May, 2016.

स्कूलों में शिक्षकों की कमी तथा भर्ती बारे भी उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों मे 10017 पद उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तथा 14536 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरे गये हैं। **पिछले वर्ष लगभग 6014 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरा गया है तथा अन्य हज़ारों पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे हमारे कॉलेजिज़ हों, स्कूल हों, किसी भी स्तर का स्कूल हो, वहां पर जो टीचर्ज़ की सैंक्शंड स्ट्रैंथ है उनको भरने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठायेगी और हम यह देखेंगे कि ये सारी भर्तियां अगले चंद महीनों के अंदर भरी जाएं।** --(व्यवधान)--बीच में मत बोला करो, I am not yielding.

Deputy Speaker: Please sit down. माननीय सदस्य (श्री सुरेश भारद्वाज जी), कृपया बैठ जाईये। Nothing to be recorded. I am not allowing you to speak.

04.03.2016/1325/SS-DC/2

Chief Minister: Sir, what he has said, may not be taken on record. ..(Interruption).. I am not yielding. I am not yielding. पंडित जी महाराज, I am

not yielding. मुझे यह पता है कि यह आपका सिग्नल है बाहर जाने का। Good bye. जाईये।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन से बहिर्गमन कर गये।)

Chief Minister: Shame. उपाध्यक्ष महोदय, वाक-आउट का कोई कारण नहीं है। मैं एक-एक प्वाइंट का जवाब दे रहा हूं और मेरे जवाबों से लग रहा है कि उनका पक्ष कितना कमज़ोर रहा है। अब बहाना ढूंढकर बाहर जा रहे हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि आज के दिन का जो एम0एल0ए0 का भत्ता है वह विपक्ष को न दिया जाए क्योंकि इनको काम करने का भत्ता दिया जाता है, इनको वाक-आउट करने का भत्ता नहीं मिलना चाहिए।

जारी श्रीमती के0एस0

04.03.2016/1330/केएस//एजी/1

मुख्य मंत्री जारी----

उपाध्यक्ष महोदय, अब ये लाजवाब हो गए क्योंकि इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्वाइंट वाईज़ दिया गया। इनको बाहर जाने का बहाना चाहिए और मैंने देखा है कि पिछले जो कुछ वाक आऊट हुए हैं उसका सूत्रपात हमेशा शिमला के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज हैं और इनका वाक आऊट पूर्वयोजित है। धूमल साहब भी सिर झुकाते हुए बाहर गए हैं। उनको भी शर्म आ रही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से रोज़गार भत्ता देने के बारे में भी मामला उठाया गया। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कौशल विकास की स्कीमों को इकट्ठा करके कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि राज्य के बेरोजगार युवकों को परिपक्व कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भारत सरकार से कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए 640 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है जिसे हाल

ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग डिपार्टमैंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्ज़ ने स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में एक लाख अतिरिक्त बेरोज़गार युवकों को इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से रोज़गार है। आप देखेंगें कि कई लोग विभिन्न प्रणालियों द्वारा सरकारी नौकरी में लगाए गए हैं। कोई आऊट सोर्स के माध्यम से लगाए गए हैं। कई कुछ और बेसिज़ पर लगाए गए हैं जिनमें हजारों युवक और युवतियां काम कर रहे हैं। हम उनको मूल धारा में कैसे लाएं, इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। आखिर हम किसी को दस साल तक थोड़ा सा पैसा दे कर उनके जीवन को खराब नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए।

04.03.2016/1330/केएस//एजी/2

We have to find a way out to see that all these employees of various categories, who are watching under one scheme or the other scheme, are working at a pittance. Some are being taken on outsource basis. There are some contractor. He may get Rs. 10,000/- for each employee, but he passes only Rs. 5000/- to Rs. 6000/- to the worker. Middle man is making money in it. Government will review all these schemes. I am against exploitation of any labour man. Of course, such a scheme may be necessary for some time, but it cannot be perpetuated as a system. Government will think about it. हम इसके बारे में सोचेंगें और किसी न किसी तरीके से जो लोग आऊट सोर्स करके या किसी और तरीके से लगाए गए हैं, जिनसे ज्यादा फायदा तो बिना काम किए ठेकेदार ले रहे हैं, मिडलमैन को बिना कुछ काम किए उनसे ज्यादा फायदा मिल रहा है और वह भी इस लेबर का शोषण कर रहा है। इसलिए इस बारे में सरकार चिन्तित है और बहुत जल्दी इसके बारे में कदम उठाएगी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 में कौशल विकास निगम/मिशन के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रमों में सामान्य विषय के साथ-कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम वर्ष 2014-15 में 200 स्कूलों में आरम्भ किया है। वर्ष 2015-16 में भी 200 नए स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

4.3.2016/1335/av/ag/1

मुख्य मंत्री------ जारी

हर जगह लिखा है, 'उन्होंने'। जहां मैं उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब है श्री प्रेम कुमार धूमल। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा गर्भपूर्ण परीक्षा करवाने तथा कन्या भ्रूण हत्या का मामला भी उठाया है। यह एक गम्भीर मामला है और इसको भी धूमल जी ने उठाया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। हम सब इसके बारे में चिन्तित है। हमारा स्वास्थ्य विभाग चिन्तित है और हमारी पार्टी व हमारे सभी विधायक इस बारे में चिन्तित है। अवैध रूप से जो सैक्स डिटरमिनेशन के बारे में जानकारी दी जाती है और लड़की हो तो गर्भपात होता है, यह एक गलत काम है तथा इसको सख्ती से बंद किये जाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, इसके भी एरियाज हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश का नक्शा देखें तो इसके भी खास-खास एरियाज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता। मगर जो पंजाब या हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र हैं वहां पर सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद भी अभी तक जो बेलैंस ऑफ पोपुलेशन होना चाहिए; वह नहीं हो रहा है। इसमें जो सजा दी जा रही है उस सजा को बढ़ाने की जरुरत है। उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरुरत है ताकि लोगों में वास्तव में डर महसूस हो। इस बारे में प्रचार करने की आवश्यकता है नहीं तो ऐसी हालत हो जायेगी जो आज हरियाणा में है। आज हरियाणा में लोगों को अपने बेटों के लिए बहुएं नहीं मिल रही है। वे बहू कहीं बिहार से ला रहे हैं या हमारे हिमाचल के जिला सिरमौर के कुछ इलाकों में भी ब्राइड ढुंढने के लिए आ रहे हैं। यह एक गम्भीर मसला है। It cannot be taken just as a routine. हमें इसके लिए कोई प्रोग्राम या पॉलिसी बनाकर सख्ती से पालन करना पड़ेगा ताकि उसका असर हो। सरकार इस बारे में जो कदम उठायेगी उसके बारे में लोगों को और ज्यादा जागरुक और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यह बताने की जरुरत है कि लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। लड़की भी अनमोल है और लड़की भी वह सारे काम कर सकती है जो एक लड़का करता है। लोगों की जो इस तरह की चाह है कि लड़के ही पैदा हो, कोई लड़की पैदा न हो तो उसके लिए वे अपराध की परिधि को भी लांघ देते हैं। मैं समझता हूं कि इसके

लिए सारे समाज और सोच को बदलने की जरुरत है। उसके लिए सरकार

4.3.2016/1335/av/ag/2

काम करेगी तथा स्वास्थ्य विभाग उस बारे में रूप-रेखा बनायेगा कि इसको बंद करने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं। इसके प्रचार को करने के लिए और अधिक क्या हो सकता है, इस बारे में सोचने और उसको लागू करने की आवश्यकता है। I have gone out of my text. Text is there. Whatever I have said is in relation to the text. आज यहां पर श्री महेश्वर सिंह जी नहीं बैठे हैं। उनके जो-जो सवाल है मैं उनके जवाब देना चाह रहा था। वे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। I think he is non-serious about it. बलदेव तोमर जी ने भी सवाल उठाया था, वह बैठे नहीं है इसलिए मैं उनका जवाब भी नहीं दूंगा। फिर उन्होंने आरोप लगाया (---व्यवधान---) नहीं, he is Leader of the Opposition. Therefore, I take note of it. उन्होंने, मतलब श्री धूमल जी ने यह आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए राजनीतिक तौर पर पिक एण्ड चूज किया जा रहा है। मैं इसमें सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

टीसी द्वारा जारी

040.**03.2016/1340/TCV/AS/1**

मुख्य मंत्री ----- जारी

ये वन विभाग के कार्यक्रम तथा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया जा रहा है, न कि किसी राजनीतिक आधार पर। जो भी इसकी जद् में आएगा उसको कानून नहीं बख्शेगा। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम एक किस्म का एक सामाजिक कार्यक्रम बनाते हैं, जोकि कई दशकों/लम्बे समय से चल रहा है, उसमें हमें संवेदनशीलता के साथ कार्यक्रम चलाने चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। जो बिल्कुल गरीब, छोटे,हरिजन और भूमिहीन हैं, जिन्होंने अपने गांव के आस-पास भूमि पर अधिग्रहण करके खेती की है और किसी ने बागवानी की है। कुछ ऐसे भी बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है, जिनके पास पहले

से ही काफी ज़मीन है। उन्होंने भी सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण/नाजायज़ कब्जा करके बड़े-बड़े बगीचे लगा रखे हैं। उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। न कानूनगो,न तहसीलदार,न गार्ड,न रेंजर न डी0एफ0ओ0 और न ही उनको कोई उच्च अधिकारी पूछते हैं। जब किसी चीज़ को रोकने की बारी आती है तो सबसे पहले गरीब लोगों की बारी आती है, बड़े लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर यह मुहिम चलानी है तो सबसे पहले उन पर चलाईये, जोकि वास्तव में बड़ी-बड़ी भूमि के मालिक है। कई तो ऐसे है, रहते किसी और जगह में हैं और अतिक्रमण किसी और पंचायत में किया हुआ है। उनको क्यों नही पकड़ते हैं। सारे लोग, सारी तहसील, सारा इलाका जानता है कि किसने यह किया है। मगर सारी की सारी तलवार गरीब आदमी पर गिरती है। मैं नहीं कहता हूं कि वह दोषी नहीं है, वह भी दोषी है। लेकिन पहल कहां से करनी चाहिए? उनसे करिए जो अच्छे-खासे खाते-पीते लोग है। जिनके पास ढ़ेर सारी ज़मीन है। जिन्होंने इलाके में अपनी पंचायतों के साथ-साथ दूसरी पंचायतों में भी कब्जा किया है। उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं। उसके लिए रैवन्यू और फॉरेस्ट डिर्पाटमैंट क्यों सो रहा है। पहले उन बड़े आदमियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो छोटा आदमी है उसको बसाने की जमीवारी हमारी ही है। गरीब आदमी को रहने के लिए घर देना, उनकी रोज़ी रोटी के लिए नौतोड़ देना, हमारा दायित्व है। मगर वे लोग जिनके पास पहले से बलक में ज़मीन है और उसके बावजूद उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है?

04.03.2016/1340/TCV/AS/2

जो आज हाईकोर्ट के आर्डर बता करके जगह-जगह दौड़ रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर उनको पकड़ेंगे तो The people will appreciate it. You should start from above not from below. गरीब आदमी के पास तो कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। पीछे हाईकोर्ट ने यह फैसला किया था कि केवल उनकी टहनियों और पत्तों को काटा दिया जाये। लेकिन अब तो वे इलैक्टिक सॉ लेकर घूम रहे है। किसी पेड़ों को बीच से काट रहे हैं और किसी को नीचे से काट कर अपनी इच्छा के अनुसार पूरा पोस्टमॉर्टम कर रहे हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

4.03.2016/1345/RKS/AS/1
मुख्य मंत्री द्वारा ...जारी

I will not allow that. I want that you (Forest Department) may be acting under something. You also have a conscious. I will reward you if you catch hold of your big fish. अगर शुरूआत करनी है तो वहां से करो। छोटे आदमी की बारी तो अंत में आएगी या कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। We have full faith in our judiciary. We respect our judiciary. I am sure if this matter/situation and issues are put before the court in a proper prospective, then the court will also agree to that. तो इसके बारे में हमें प्रयत्न करना है। श्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकाघाट, सन्धोल से लेकर घुमारवीं तक समस्त अस्पताल एवं डिसपैंसरी में चिकित्सकों की कमी हैं। I would like to state that the Medical Officers of the following specialty are working in CH, Sarkaghat:-

1. Radiology 1
2. Paediatrics 1
3. Surgeon 1
4. Eye Specialist 1
5. ENT 1

मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि Now, I would like to say that Sarkaghat Hospital is a very important hospital. It serves a very densely populated area. जो है well and good. What about other doctors? What about Gynecologist? What about Surgeon? अगर एरिया में एक भी होस्पिटल ठीक से चलें तो ओर जगह कोई थोड़ी बहुत कमी भी हो तो उसकी पूर्ति करता है। जो आपके मेन हॉस्पिटल हैं चाहे वह घुमारवीं का है, सरकाघाट का है अगर वहां पर पूरी नफरी में डॉक्टर हों No hospital is complete without an Anesthetist, Gynaecologist and Surgeon. यह जरूरी है। जो आपने भेजे ये भी जरूरी है। मगर जो दूसरे डॉक्टर हैं वे भी जरूरी है। so that all these hospitals become self-supporting for the area and also become properly equipped to deal with any emergency/situation. We have to give a thought about this.

4.03.2016/1345/RKS/AS/2

There are many hospitals like this spread over the State and they must get as much attention as Regional Hospital or District Hospitals get so far as the posting of the basic Doctors are concerned. यह करना पड़ेगा अगर हम ठीक से डॉक्टर भेजेंगे तो जिस तरह से आज हॉस्पिटलज में भीड़ है, जो भीड़ हमारे इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में, हमारे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा में है, वह कम हो जाएगी। It is not that you are not trying. But I would also like to add my voice to the issue he has raised. As a Chief Minister, we are all responsible, but in my own personal capacity, I would like to plead with the Health Department that apart from the medical colleges please take care of these important Regional Hospitals also. This is what I want to say. I know your difficulty. You have advertised the posts so many times. There are few takers for the rural areas. Everybody wants to go to a city or town. कोई होगा बीच में जो मनचला होगा, जो जन सेवक होगा, वह जाएगा। कोशिश करके सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि According to information supplied to me, no health institution is without any Medical Officer in the said constituency i.e. Sarkaghat. However, filling up of vacancies is a continuing process in the Department. मैं यह भी कहना चाहूंगा जब नए लोग भर्ती होते हैं तो सबकी कोशिश होती है कि हम मेडिकल कॉलेज में रहें, शहरों में रहें। दुनिया भर की सिफारिशें आती हैं। आपको (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) as Health Minister आती होगी ।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

04.03.2016/1350/SLS-DC-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

As a Chief Minister I get many recommendations. डॉक्टर भर्ती शिमला में हो रहा है और सिफ़ारिश लखनऊ, बैंगलौर या दिल्ली से आ रही है। I ignore these

recommendations जिन्होंने नौकरी करनी है वह करें और वहां जाएं जहां उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी यह नीति होनी चाहिए। हमारे जो बड़े-बड़े रीजनल हॉस्पिटल हैं, अगर वह ठीक से चलेंगे तो मरीजों का जो प्रैशर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज और मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्ज पर है, वह कम हो जाएगा। (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से) मैं नहीं कहता कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं मगर ज्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है And don't come to any pressures, internal or external. उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने; अब मैं उनको प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल नहीं कहूंगा, उन्होंने तीसा में चिकित्सकों की कमी का ज़िक्र किया है। यह बिल्कुल सही बात है। तीसा बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है और हमारे पांगी-भरमौर क्षेत्रों से लगता है। It is a outpost of medical care वहां पर बेसिक डॉक्टर्ज़ का होना बहुत आवश्यक है। वहां पर अस्पताल की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है; नई बिल्डिंग बनी है। वहां पर पीने के पानी का प्रावधान नहीं था, पानी कम था। एक नई स्कीम बन रही थी। मुझे उम्मीद है कि वह पानी की स्कीम बन गई है और अस्पताल में जो पानी की कमी थी, उसकी पूर्ति हो गई है। उसके अलावा जो बेसिक पोस्टें हैं, जैसे गाइनेकोलोजिस्ट है, सर्जन है, बच्चे जनने के लिए डॉक्टर है या एनेस्थिस्ट है, वह तो होने ही चाहिए। हार्ट का डॉक्टर बेशक न हो, दिमाग का डॉक्टर बेशक न हो; उसके लिए तो और जगह भी जा सकते हैं मगर जो बेसिक्स हैं, उसके लिए सर्जन का होना, एनेस्थिस्ट का होना, गाइनेकोलोजिस्ट का होना आवश्यक है apart from any physician and other people. वरन् ऐसे हॉस्पिटल खोलने का क्या फायदा है अगर वहां पर ऐसी मूलभूत सुविधाएं न हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि we have to set our priorities and see all these hospitals which are open in the outpost of the state i.e. in the remote and backward areas, get them the basic facilities there. I don't say you give heart-surgeon or kidney specialist there. कम-से-कम बेसिक डॉक्टर्ज़ तो होने ही

04.03.2016/1350/SLS-DC-2

चाहिए ताकि लोगों की मदद हो सके। This is what I fully endorse with the views which have been stated here. इसके बाद अध्यक्ष महोदय, उन्होंने (विपक्ष के लिए प्रयुक्त शब्द) सिकरीधार सीमेंट प्लांट न लगाने का मुद्दा उठाया है। मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के बाद उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे कि सिकरीधार में जो सीमेंट प्लांट

लगना था, जो बहुत पहले मंजूर हुआ था, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। मैं भी इसके बारे में चिंतित हूं। आज हमारे चम्बा जिले के अंदर एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। एक तो दूरी के कारण और एक कम्युनिकेशन की समस्या के कारण यह बात है लेकिन जो हम पब्लिक सैक्टर में लगा सकते हैं, कम-से-कम इन क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि वहां भी उद्योग लगें। यह कुछ बातें इनके द्वारा कही गई थीं। वैसे प्वाईंट्स तो बहुत हैं। I Lay My Speech On The Table Of The House. जो अभी मैंने कहा नहीं है, उसको मैं टेबल-ऑफ-द-हाऊस पर ले करता हूं।

उन्होंने BRGF योजना के तहत लगाए गए कर्मचारियों को निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के दो जिलों चम्बा व सिरमौर में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना को भारत सरकार द्वारा गत वर्ष से बंद कर दिया गया है तथा इस स्कीम के अंतर्गत रखे गए कर्मचारी केवल उक्त स्कीम के लिए लगाए गए थे जिसके दृष्टिगत इन कर्मचारियों को सरकार में नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्कीम बेसड कर्मचारी की नियुक्ति तब तक ही होती है जब तक स्कीम चल रही हो।

श्री रविन्द्र सिंह ने कहा कि इनवैस्टर मीट के दौरान प्राप्त हुए प्रस्ताव को सरकार अमलीजामा पहनाने में नाकाम रही। मैं कहना चाहूंगा कि औद्योगिक निवेश को इनवैस्टर मीट्स के माध्यम से आकर्षित किया है जिसके फलस्वरूप इन इनवैस्टर मीट्स के उपरांत 116 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 4500 करोड़ रुपये के निवेश व लगभग 13000 लोगों को रोज़गार का प्रावधान है। मुझे यहां पर यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इनवैस्टर मीट्स के उपरांत राज्य स्तरीय एकल

04.03.2016/1350/SLS-DC-3

खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा इनमें से 79 प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है जिनमें लगभग 3300 करोड़ रुपये के निवेश व लगभग 10000 लोगों को रोज़गार का प्रावधान है।

उन्होंने वनों में अवैध कटान का मुद्दा भी उठाया। मैं कहना चाहूंगा कि वन विभाग के अवैध कटान व तसकरी रोकने के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2014-15 में अवैध कटान

के कुल 3096 मामले पकड़े गए जिनमें 4.5 करोड़ रुपये कीमत की 621 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई। इनमें से 57 मामलों में पुलिस में FIR दर्ज़ करवाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

जहां तक हरोली में गुंडा तत्वों द्वारा वन कर्मियों पर हमले का मामला है, इस बारे हरोली थाना में दिनांक 19.02.2016 को FIR No. 0031 दर्ज़ करवाई जा चुकी है तथा कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल ही प्रधान मंत्री मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि विधान सभा में वॉकआऊट नहीं होने चाहिए। आज इन्होंने उनकी हिदायत की अवहेलना करते हुए बिना किसी कारण से, महज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वॉकआऊट किया जबकि उनको एक-एक सवाल का जवाब मिल रहा था। क्या यह प्रजातंत्र है?

जारी ...गर्ग जी

04/03/2016/1355/RG/DC/1

मुख्य मंत्री----क्रमागत
इनको इसकी आदत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और यह इनकी आदत हो गई है कि हर मौके पर ये खड़े जाते हैं। जब मर्जी बोलते हैं और जब गंभीर चर्चा यहां हुई है उसका उत्तर दिया जा रहा है, तो उसके बीच में ही उठकर भाग जाते हैं। ये किस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं? जबकि उनके नेता और वे हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी कहते हैं कि लोक सभा में और विधान सभा में वॉक ऑऊट नहीं होना चाहिए। अब ये अपने नेता की बात नहीं मानते, तो हमारी बात कहां मानेंगे? इनको उनकी बात से सबक लेना चाहिए। यह भी दलील दी गई कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को होता है। यह श्री मोदी जी ने कहा कि जब वॉक ऑऊट करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को होता है। यहां विपक्ष में कौन है? उन्हूं जी की पार्टी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष) है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : इस बारे में मोदी जी को पत्र लिखेंगे।

मुख्य मंत्री : हां, उन्होंने कल एक उपदेश दिया, लेकिन उनके अनुयायी खुल्लमखुल्ला उसका यहां उल्लंघन कर रहे हैं। सारे देश ने यह सुना, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर मोदी जी के उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। यह पता नहीं किसको नेता मानते होंगे, भगवान जानें। इनके दिल की बात कौन जाने? हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के पहले तीन साल वॉक ऑऊट में ही निकले। जब से सरकार बनी है, कोई सत्र ऐसा नहीं है, कई प्रश्नकाल में, कई बहस के दौरान, जबकि ये बाहर न गए हों। सच पूछा जाए और पिछले तीन वर्षों का विधान सभा का कार्यकाल देखा जाए, तो अधिकांश समय में सत्र के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर रहे और सत्र में उपस्थित नहीं रहे। इनको तो अपना दैनिक भत्ता भी नहीं लेना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जब ये विधान सभा का बहिष्कार करते हैं तभी तो ये 10-15 दिन तक बाहर रहे, अगर इनमें थोड़ी भी ग़ैरत है, तो इनको अपना वेतन नहीं लेना चाहिए। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये अपने नेता की बात नहीं मानते, तो मेरी बात क्या मानेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पहले तीन साल वॉक ऑऊट में ही निकले और प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मागेगी कि आप सदन में इतने साल, इतने महीने रहे, उसमें से कितने महीने आप सदन के अंदर रहे? यह बात है। यह वॉक ऑऊट कोई रेमेडी नहीं हे।

04/03/2016/1355/RG/DC/2

MLAs are elected to raise the public issues on the floor of this Hon'ble House and not to do walkouts and create the noise so as to disrupt the functioning of the Legislature. It is not their job.

With these words, Sir, I thank you and I think whatever points were important I have replied to them. Rest, I put my speech on the floor of the House. Thank You.

उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

04/03/2016/1355/RG/DC/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से यहां हर चीज का जवाब दिया। मगर कल बहस के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रो. धूमल साहब और सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने सवाल मेरे विभाग के बारे में उठाए थे। यहां कहा गया कि खाली लिफाफा दाल का मिला था और एक में तेल कम मात्रा में था।

एम.एस. द्वारा जारी

4/03/2016/1400/MS/AS/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री------

हमने पूरे प्रदेश में शीघ्र ही उनके बयान के बाद स्पैशल ड्राइव चलाया जिसके तहत सीनियर अधिकारी सैम्पल कलैक्ट कर रहे हैं। 250 सैम्पल कल कलैक्ट हो गए थे और आज भी लगातार वह कार्रवाई चल रही है परन्तु कहीं भी ऐसा लिफाफा नहीं मिला। मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि जो उसका मेन पैकेट था उसमें जितना वजन होना चाहिए, वह पूरा था। हो सकता है कि बीच में ही कोई खाली लिफाफा पैकेट में रह गया हो लेकिन उसको ऐसे सनसनी बनाकर दर्शाया गया जैसे पता नहीं क्या बात हो गई है। इसके अलावा श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही थी कि मैं एक करोड़ रुपया जाकर अनाऊंस करके आया था, वह अभी तक नहीं पहुंचा है। उपाध्यक्ष जी, मैंने उनको कैश तो देना नहीं था। वह पैसा विभाग के पास पहुंच गया और विभाग उसके ऊपर अपना काम कर रहा है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जो नीली बसें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत प्रदेश में आई हैं उन बसों के अंदर जो गत्ते लगे हैं उनको अगर जोर से मारो तो वे टूट जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने इस बात को कब टैस्ट किया परन्तु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों की स्पेसिफिकेशन ऑल इण्डिया लैवल पर अर्बन डवलपमैंट मिनिस्ट्री ने तय की हुई हैं। उसी स्पेसिफिकेशन में पूरे देश में बसें आई हैं। जहां-जहां इनकी सरकारें हैं ये वहां पता कर लें कि इनमें कोई अलग गत्ता लगा है या वही गत्ते सब जगह लगे हैं। ये फैक्ट्स मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता था। धन्यवाद।

4/03/2016/1400/MS/AS/2

उद्योग मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जैसे मुख्य मंत्री जी ने चम्बा के सीमेंट प्लांट की बात कही। चम्बा के सीमेंट प्लांट को लगाने के लिए सरकार गंभीर है। प्रदेश सरकार चाहती है कि चम्बा के दूर-दराज के क्षेत्रों में रोजगार भी मिले और यह सीमेंट का कारखाना भी स्थापित हो। लेकिन केन्द्र सरकार की जो नई खनिज नीति आई है उसमें प्रदेश सरकार की जो चयन प्रक्रिया थी, उस पर रोक लग गई है और अब ग्लोबल टैण्डर्ज ही हो सकते हैं। प्रदेश सरकार को भी अगर कोई कारखाना देना है तो सिर्फ ऑक्शन का मॉड ही अपनाना पड़ेगा। अभी यह मामला अदालत में विचाराधीन है। हम उच्च न्यायालय के आउटकम को भी देख रहे हैं अन्यथा इसके लिए ऑक्शन्ज करनी पड़ेगी या अदालत से कोई निर्देश आते हैं तो हम उन पर भी अमल करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार चम्बा में सीमेंट कारखाना लगाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। दूसरा, प्रो0 धूमल जी ने और रविन्द्र रवि जी ने उद्योगों के बारे में बोलते हुए कहा कि जो हमने इन्वेस्टर्ज मीट की है उसका कोई आउटपुट नहीं आया है। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी मेक इन इण्डिया के तहत विश्व में कारखानों को निमंत्रण करने के लिए जा रहे हैं। उसमें इस मंदी के दौर में 562 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और लोगों को बुलाया जा रहा है। उसका कितना परिणाम निकला है वह भी हमारे साथियों को देखना चाहिए लेकिन हम तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे साथ दिल्ली, बैंगलुरू, अहमदाबाद और मुम्बई भी गए। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां रोपवेज लगे हैं या जो हाल ही में रोपवेज सैंक्शन हुए हैं चाहे धर्मशाला का हुआ, चाहे शिमला का हुआ, चाहे रोहतांग से पलचान का हुआ, ये लोग मुख्य मंत्री जी से मुम्बई में इन्वेस्टर्ज मीट के दौरान मिले बल्कि टाटा ग्रुप के लोग भी मुख्य मंत्री जी से मिले और उसके बाद तीनों रोपवेज के हिमाचल के लिए एम0ओ0यूज0 हुए या इनके बारे में फैसला हुआ। फिर यह कहना कि इन्वेस्टर्ज मीट के कोई सार्थक नतीजे नहीं आ रहे हैं। इसमें सारी सरकारें और सारे राज्य पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कारखानों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जितनी छूट हिमाचल सरकार ने कारखानों को आमंत्रित करने के लिए दी है उससे लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हजारों करोड़ रुपयों का निवेश हिमाचल में हुआ है। अभी भी हम मुख्य मंत्री जी से सिंगल विंडो के लिए डेट ले

रहे हैं क्योंकि अभी भी काफी सारी प्रपोजल्ज हमारे पास पाइप लाइन में हैं। जो इन्होंने कहा कि परवाणु में 63 उद्योग बंद हो गए, उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पैकेज समाप्त हुआ, उसका एक हिस्सा जो खत्म किया गया, उसकी वजह से ऐसे

4/03/2016/1400/MS/AS/3

कारखाने जो सिर्फ कागजों पर यहां चलते थे और चलते कहीं और थे लेकिने यहां पर सिर्फ कागज बनाते थे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

04.03.2016/1405/जेएस/एजी/1

उद्योग मंत्रीः-------जारी--------

जैसे ही पैकेज की डेट की अवधि खत्म हुई उन्होंने अपने बिजली के कनैक्शन कटवाने शुरू कर दिए। अन्यथा वे लोग हिमाचल प्रदेश में काम ही नहीं कर रहे थे। वे एक झांसा दे रहे थे। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कारखाने जो फर्जीवाड़े से चल रहे थे उनकी जांच करवाई जाए कि उन्होंने कितना फायदा हिमाचल प्रदेश से लिया है लेकिन वास्तव में वे ऑप्रेशनल नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में न तो किसी उद्योग का पलायन हुआ है न ही हिमाचल प्रदेश में जो स्थापित उद्योग हैं वे यहां से गए हैं। देश व विदेश के यहां पर बहुत अच्छे नामी घराने काम कर रहे हैं, चाहे वह सीमेंट सेक्टर में है, चाहे टूरिज्म सेक्टर में है और चाहे इण्डस्ट्री सेक्टर में है। फार्मा के देश-दुनिया के सारे उद्योग हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए अभी भी हिमाचल प्रदेश लोगों के आकर्षण का केन्द्र है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बिजली भी उपलब्ध है, सस्ती बिजली उपलब्ध है और क्वालिटी बिजली उपलब्ध है। बाकी प्रदेश चाहे दावा कर रहे हों लेकिन उनके पास न तो बिजली है न ही वह वातावरण है । पड़ौसी राज्यों की भी आपने स्थिति देखी है। वहां से कारखानें पलायन करना चाह रहे हैं। आज भी हमारे ऑफिसर्ज ऐसे कारखानेदारों से बात करने हेतु मुख्य मंत्री के आदेश से गए हुए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश से न तो कोई उद्योग पलायन हुआ है और न ही वे यहां से जा रहे हैं। जो कारखाने

यहां पर फायदे के लिए आए थे, या कोशिश कर रहे हैं, हमने उन्हें यह कह दिया है कि जो प्लॉट्स जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं सरकार कैंसिल करके उनको नये कारखानेदारों को दे देगी। हमने उस पर एक्सरसाईज शुरू कर दी है। जहां तक मालवा उद्योग की सिरमौर की बात है वह उनका इन्टरनल मामला है। उनकी फैमिली का मामला है। परिवार की फाईनैंशियल दिक्कतों का मसला है। बहुत से उद्योग जब क्लोज होते हैं उन्होंने बैंकों का पैसा नहीं दिया होता है। उन्होंने बड़े-बड़े लोन लिये हुए हैं और एन0पी0ए0 का मसला है। उन्होंने क्योंकि बैंकों का पैसा वापिस नहीं किया होता इसलिए उनकी दिक्कतें होती है । अदरवाईज हिमाचल प्रदेश में उद्योग पूरी

04.03.2016/1405/जेएस/एजी/2

तरह एक अच्छे वातावरण में चल रहे हैं और उद्योगों को कोई खतरा नहीं है। नये उद्योग हम ला रहे हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। यह जो प्रदेश सरकार उद्योगों को हिमाचल प्रदेश में लाने के प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार को जो उसमें सफलता मिल रही है, लोग हिमाचल प्रदेश में लगातार सम्पर्क कर रहे हैं। उसको देखते हुए विपक्ष के लोग ऐसी चर्चा चलाना चाहते हैं, अन्यथा हिमाचल प्रदेश उद्योगों के लिए एक बैस्ट पोसिबल डैस्टिनेशन है। चाहे वह टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे कोई उद्योग का सेक्टर है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि ये उद्योग विभाग पर अपना पूरा वरदहस्त रखे हुए है। हमारे साथ उद्योगों को निमंत्रण देने के लिए ये हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं। धन्यवाद।

04.03.2016/1405/जेएस/एजी/**3**

उपाध्यक्षः अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

तो प्रश्न यह है कि इस सदन में एकत्रित सदस्य महामहिम् राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।

प्रस्ताव स्वीकार

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 8 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 04 मार्च, 2016 **सचिव ।**